राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5) षष्ठम् विधान सभा के पंचम सत्र का 8वां दिवस (संख्या 6
1] [2

सोमवार

दिनांक 5 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री लक्ष्मण सिंह अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

न्यायालय विनिश्चय लम्बित विषय पर चर्चा

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : आन ए पाईंट आफ आर्डर, सर।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली की जो किताब है उसमें नियम 272 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी मामला अगर कोर्ट में है तो उसके संबंध में यहां चर्चा नहीं हो सकती। मैं समझता हूं, आपको और सब सदस्यों को इस बात का ज्ञान है कि राजस्थान हाई कोर्ट में बजट के सम्बन्ध में एक याचिका पेश की गई है। उस पर जब तक हाई कोर्ट निर्णय नहीं ले, तब तक किसी भी प्रकार की बजट पर चर्चा करते हैं, तो वह सही नहीं होगी। हम उसके सम्बन्ध में यहां नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे तो जजेज पर उसका असर पड़ेगा। हाल ही में बारां गोलीकांड के सम्बन्ध में जब कि जज की नियुक्ति भी नहीं हुई थी उससे पहले ही सरकारी पक्ष ने कहा कि गोली काण्ड के सम्बन्ध में बोलना ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूं सदस्यों के लिए बेईमान और दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह राजस्थान के इतिहास में पहला समय होगा। जब न्यायपालिका में जिस विषय में चिंतन हो रहा है उस पर आप बोल रहे हैं। या कोर्ट में किसी तरह का केस हो उस पर हम बोल सकते हैं क्या? बजट की एक एक धारा पर उनको व्यवस्था देनी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : हाई कोर्ट में बजट को चैलेंज किया गया है। हमेशा सरकार कोर्ट का हवाला देकर कह देती है कि बोल नहीं सकते जो सबजुडिस मामला है। माननीय सदस्य द्वारा यह महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है। विधि मंत्री जी, आप एडवाइज करें कि इस पर क्या व्यवस्था हो ताकि आगे विचार कर सकें।

आय-व्ययक उपस्थापन पूर्व राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1979 का प्रख्यापन

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, आप वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करने की अनुमति दें उससे पहले निम्नलिखित बातों पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

ईरान के धार्मिक नेता आयातुल्ला खुमैनी से भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्तेदारी

(श्री राम नारायण चौधरी)
खोजने वाले, अमरीका की आंखों में परमाणु ईंधन ढूंढने वाले, जैसलमेर में पाये जाने वाले दुर्लभ पक्षी ग्रेट इन्डियन बस्टर्ड (गोडावण) को...

श्री मदनसिंह दांता : आपकी व्यवस्था से पहले क्या माननीय सदस्य बोल सकते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : चीन बाजों से मारने की इजाजत देकर अरब शहजादों के पेट में घुस कर तेल खोदने वालों की सरकार के वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जहां एक ओर विधान सभा का बजट अधिवेशन आहूत किया वहीं एक अध्यादेश जारी कर सरकार को देशी शराब पर बिक्री-कर में बढ़ोतरी करने के अधिकार दिए तथा बढ़े हुए कर तुरन्त प्रभाव से लागू किए गए। इसी के साथ सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर बिक्री कर की सामान्य दरों में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी और रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों पर कर वृद्धि से, गरीब लोगों पर दो करोड़ का टैक्स लाद दिया है। विधान सभा आहूत कर लेने के साथ अध्यादेश और अधिसूचना जारी कर टैक्स लगाने की आपकी कार्यवाही से इस महान् सदन का अपमान हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी प्रतिपक्ष में बैठकर हमेशा अध्यादेशों की इस सदन में निन्दा करते रहे हैं तथा अधिसूचनाओं के द्वारा टैक्स लगाने को अलोकतांत्रिक कहते रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : पाइण्ट आफ आर्डर पर, अध्यक्ष महोदय, जब तक आप निर्णय नहीं दें तब तक यह ठीक व्यवस्था नहीं होगी। रामनारायणजी को बीच में ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं थी, जैसे कोई रेल गाड़ी जा रही है। मैंने एक कानूनी मसला उठाया है इसलिये रामनारायणजी से मैं माफी चाहूंगा, आप अपनी बात को बाद में रखें।

अध्यक्ष महोदय, यदि हाई कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन है, उसका निर्णय कुछ भी हो उससे पहले हमें बोलने का अधिकार है क्या ?

श्री राम नारायण चौधरी : वित्त मंत्रीजी ने 3 मार्च को जयपुर में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों के द्वारा पूछे जाने पर दृढ़तापूर्वक कहा कि पूर्ण शराबबन्दी राजस्थान में अवश्य लागू होगी, शराबबन्दी उनका मिशन है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि शराबबन्दी से होने वाले घाटे की पूर्ति के लिए केन्द्र ने पैसा देने का विश्वास दिलाया है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट मत प्रकट किया कि शराबबन्दी के लिए आपको किसी प्रकार के टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है अर्थात् आप किसी प्रकार के टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं।

विधान सभा के चालू सत्र में आपको इस प्रकार की घोषणायें सदन में करनी चाहिए थी। बजट संबंधी सूचनाओं को पूर्व में ही प्रकट कर देना तो और भी गंभीर है। आपकी इन कार्यवाहियों से इस सदन की अवमानना हुई है तथा आप इसके दोषी हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप निर्णय दें कि क्या सरकार ने इस प्रकार की कार्यवाही कर

(श्री राम नारायण चौधरी)

इस सदन का अपमान नहीं किया ? इतनी जल्दी क्या थी ? क्या पहाड़ ढह रहे थे ? जो कुछ भी करना था वह इस सदन के मार्फत होना चाहिए था। आपसे प्रार्थना है कि संसदीय परम्पराओं की रक्षा करते हुए सरकार को आप ताड़ना देकर भविष्य के लिए सतर्क एवं सावधान करें।

इसके साथ ही दिल्ली के अखबारों में प्रकाशित हुआ है :

"Rajasthan cabinet crisis over prohibition ends."

इससे प्रतीत होता है कि राजस्थान के बजट प्रपोजल्स लीक हो चुके हैं।

(व्यवधान)

दूसरे दिल्ली के अखबार ने लिखा है, "शेखावत मंत्रिमंडल पर भी बादल।" तो बजट प्रस्तुत होने से पहले मुख्य मंत्री स्पष्ट करें कि क्या स्थिति है ? राजस्थान और देश में इस सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। तीसरे अखबार ने लिखा है, "Rajasthan deadlock rerolved." कल अखबार में छपा था कि मुख्य मंत्री दिल्ली गए थे, प्रधान मंत्री से मिले हैं, पार्टी अध्यक्ष से मिले हैं और त्याग-पत्र दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय, जब तक सारी स्थिति स्पष्ट न हो तब तक आपसे प्रार्थना है कि वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दें। राजस्थान की तीन करोड़ जनता में यही चर्चा है कि पिछले पांच दिनों से कोई सरकार नहीं है, जो सरकार है वह केयरटेकर है। सरकार का क्या कार्यक्रम है, जब तक सारे हालात पर मुख्य मंत्री प्रकाश नहीं डालें तब तक वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दें।

वित्त विधेयक पर विचार-दिवस की कार्य सूची में प्रश्नोत्तर काल

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपके सामने दांता साहब ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, इसके साथ ही राम नारायणजी ने दूसरा प्रश्न उठा दिया। मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह व्यवस्था का प्रश्न आज की कार्य सूची के बारे में है। आज की कार्यसूची आपकी व्यवस्था के विपरीत बनाई गई है। मैं आपका ध्यान गत वर्ष बजट सत्र में जब बजट पेश हुआ था उस समय जो आपने व्यवस्था दी थी, जो सचिवालय की कार्यवाही 6 मार्च 1978 में छपी है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। पृष्ठ संख्या 14 पर आपकी व्यवस्था है :

"माननीय सदस्य आप जानते हैं कि सदन की परम्परा रही है कि जब वित्त विधेयक इस सदन के समक्ष पेश हो उस दिन प्रश्नोत्तर काल नहीं रहता। माननीय सदस्य ने जो लोक सभा की परम्परा के सम्बन्ध में संकेत किया, लोक सभा की परम्परा और लोक सभा के नियमों की पालना करने के लिए यह बाध्य नहीं है, वह लागू नहीं होता। यह सदन सुप्रीम है। इस सदन ने निर्णय ले लिया। इस सदन की परम्परा रही है कि वित्त विधेयक इस सदन में जिस दिन आये उस दिन प्रश्नोत्तर काल नहीं रखा जाए।"

अध्यक्ष महोदय, कार्यसूची में प्रश्नोत्तर काल रखा हुआ है। हालांकि वह दूसरी

(श्री शंकर लाल)

बैठक है जो दो बजे रखी गई है फिर भी आपने जो व्यवस्था दी थी कि जिस दिन वित्त विधेयक रखा जाए उस दिन प्रश्नोत्तर काल नहीं होगा, यह उसके विपरीत है। अगर अध्यक्ष महोदय उस व्यवस्था को बदलना चाहें और कहें कि गत वर्ष जो व्यवस्था दी थी, वह ठीक नहीं है तो उस हालत में अगर प्रश्नोत्तर काल लिया जाये तो वह कार्यवाही में सबसे पहले नियम 29 के अनुसार लिया जाया। जब सदन की कार्यवाही होती है तो क्वेश्चन ग्रावर सबसे पहले लिया जाता है। तो दो प्रस्ताव आपके सामने हैं। मैं नहीं समझता कि जो भी कार्यसूची बनती है वह कार्य सलाहकार समिति में बनती है। यह हमारे, सदन का और राजस्थान का दुर्भाग्य है कि जब भी कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई तब विरोधी पक्ष, जिसके लिए कहते हैं कि वह लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, कान्फ्रेन्स में नहीं लिया गया और अध्यक्ष महोदय, आपको गुमराह करने की कोशिश की गयी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा दिये गये निर्णय और आपके द्वारा दी गयी व्यवस्था अध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में नहीं लाई गई। आप स्वयं व्यवस्था दे चुके हैं। यही सदन है, वही अध्यक्ष महोदय हैं और वही मंत्री मण्डल है। गत सत्र में बजट के वक्त में ही माननीय बजरंगलालजी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि प्रश्नोत्तर काल लोक सभा में हुए हैं इसलिए यहां भी प्रश्नोत्तर काल होना चाहिए। तो आपने जो व्यवस्था दी वह मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाई। तो मैं यह चाहता हूं कि जो व्यवस्था आपने पहले दी थी आप उसी व्यवस्था पर कायम रहना चाहते हैं या आपने अपनी व्यवस्था बदली है? अगर बदली है तो किन कारणों से बदली है? वह सदन जानना चाहेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय दो मिनट का समय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो आज सदन में कार्यसूची बजट पेश करने के साथ ही साथ पेश हुई है उससे साफ जाहिर है कि पिछले सत्र में आपके द्वारा जो व्यवस्था हो चुकी है इसके विपरीत है। सरकारी पक्ष के सदस्य का कहना था कि प्रश्नोत्तर काल बजट पेश होने के दिन नहीं होगा। आपने भी व्यवस्था दी थी, नियमों के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री शंकरलाल जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वित्त मंत्री बजट पेश करें उससे पूर्व आप उस पर व्यवस्था दें। सत्ता पक्ष के ऊपर मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए चार्ज लगाना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष आपको बिलकुल सहयोग नहीं दे रहा है। पिछले चार पांच-दिनों से यही असहयोग चल रहा है। हमारा महत्व-पूर्ण प्रश्न है, विधि मंत्रीजी का क्या कहना है इस बारे में? यह इम्पार्टेन्ट व्यवस्था का प्रश्न है, जो 1952 से लेकर आज तक परम्परा रही है उसको तोड़ा जा रहा है, आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ फिर आज ऐसी क्या प्रलय हो जायगी? यदि आज ही यह बिजनेस नहीं लिया गया। पहले भी भूतपूर्व राज्यपाल के निधन पर शोक का प्रस्ताव पेश हुआ उस समय आपने दूसरा निर्णय खुद ने लिया। आपने सदन की कार्यवाही स्थगित करके दूसरी कार्यसूची बाद में ली। आप रोज रोज

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नयी नयी परम्परायें डाल रहे हैं। अच्छी परम्परायें तो डालें। जो हम कहते हैं वह आप नहीं करें आपकी मर्जी है लेकिन आप परम्परायें तो अच्छी डालें।

माननीय मुख्य सचेतक जी आप काफी समय बाहर रहते हैं और अभी भी आप यात्रा करके फ्रेश होकर आये हैं। आपका काम सदन में व्यवस्था कायम करने का है। हम देखते हैं कि सदन के अन्दर फ्री फाइटिंग चलती है। कोई गाइडेन्स आप नहीं दे रहे हैं। एक पक्षीय बहस चल रही है। सत्ता पक्ष की ओर से जब कभी रूलिंग देने का मामला आता है तो अव्यवस्था फैलाते हैं तो हमारे सामने बाइकाट करने के सिवाय और क्या चारा है। आप ब्रूटल मेजोरिटी के आधार पर गलत परम्परायें कायम कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। माननीय नेता महोदय बैठे हैं। सतीशचन्द्रजी अग्रवाल यहां पर अपने साथ मोटी मोटी किताबें बहस करने के लिए लाया करते थे जब वे इधर बैठते थे। उस समय भी सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आते थे और उसके बाद रूलिंग होती थी। अब ऐसी हालत में अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दें भी तो क्या दें? वह भी आखिर इन्सान हैं। उनको भी रूलिंग देनी होती है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत चाहूंगा कि जो भी माननीय दांता साहब ने और शंकर लाल जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके ऊपर आप अन्य व्यवस्था दें। आप क्यों पुरानी परम्परा तोड़ना चाहते हैं? क्या मामला है? आगे आने वाले क्या सोचेंगे कि सदन के अन्दर किस तरह की व्यवस्था पड़ी थी। मैं आपकी मार्फत विधि मंत्री जी से चाहूंगा कि इस बारे में आपका क्या जवाब है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मदन सिंह जी दांता तथा श्री राम नारायण जी ने जो आपत्ति उठाई है उसको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं अतएव इन दोनों माननीय सदस्यों की आपत्ति को मैं निरस्त करता हूं।

माननीय सदस्य श्री शंकरलाल जी द्वारा और श्री रघुनाथ जी विश्नोई द्वारा जो आपत्ति उठाई गयी है उस पर विचार करने के लिये आज एक बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मैंने बुलाई है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष मुझे सहयोग देगा। प्रश्नोतर काल के संबंध में जो मेरा निर्णय है वह मुझे याद है, उस पर विचार किया जायेगा और प्रश्नोत्तर काल रखा जाये अथवा नहीं रखा जाये, इस पर शासन पक्ष और विपक्ष की इच्छा के अनुसार ही व्यवस्था देने का मेरा इरादा है अतएव मैं वित मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपना बजट भाषण प्रारम्भ करें।

श्री मदनसिंह दांता : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर नियमावली के नियम 294 के अन्तर्गत है। विधान सभा की कार्यवाही हो रही है वह कान्स्टीट्यूशन की मेन धारा के विपरीत हो रही है 'without amendment of the Constitution' तो मैं समझता हूं कि सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस ओर आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया...

श्री मदनसिंह दांता : कान्स्टीट्यूशन की धारा 326 का उल्लेख किया है...

श्री अध्यक्ष : यह कानूनी मसला है। आज बजट स्पीच हो जाये उसके लिए भी आप आपत्ति उठा सकते हैं। इसका आप को अधिकार है।

श्री मदनसिंह दांता : मुझे स्वीकार है। क्या ऐसी व्यवस्था होगी कि आइन्दा ऐसा लॉ पास करवायें कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज नियुक्त हो। मेरे पास विधान है, मैंने 326 का उल्लेख किया है पिपुल्स एक्ट का और उसके विपरीत कार्य हो रहा है। 1951 के पिपुल्स एक्ट में है···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समस्त भारतवर्ष की समस्या है। लोकसभा की समस्या है।

श्री मदन सिंह : तो क्या है ? मैं नहीं उठाऊं ? आज राजस्थान विधान सभा में अन्याय हो रहा है और कान्स्टीट्यूशन की धारा का खण्डन हो रहा है, वह दिल्ली वाले कहें और मैं नहीं कहूं ? मैं एक निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं और मैंने कान्स्टीट्यूशन की सौगन्ध खाई है, 326 का उल्लंघन कर चुके हैं, 1951 के पिपुल्स एक्ट से हटा दिया गया है उसमें 'इल्लीगल' शब्द है उसको रिमूव कर दिया है। आई.पी.सी. को कोई न कोई सदस्य पढ़ायेगा। सब बदमाशी करो···

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं एक कोटेशन का उल्लेख करूं।

Genius has its limitations but stupidity is not similarly handicapped.

श्री मदन सिंह दांता : Who has done it ? You have done it.

श्री अध्यक्ष : सदस्य महोदय, 1956 के बाद जो कुछ भी कार्यवाही की गई है, सब इल्लीगल है ?

श्री मदनसिंह दांता : जो कुछ नहीं··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री महोदय।

श्री मदनसिंह दांता : आई.पी.सी. क्या कहता है, उस संबंध में आप सुनना नहीं चाहते हैं। उसमें कोई भी आफेन्स कर सकते हैं सिवाय भ्रष्टाचार प्रेक्टिस के। राजस्थान विधान सभा का कोई सदस्य कभी भी कोई इल्लीगल काम कर सकता है ? आई.पी.सी. की धारा 42 उठाकर देख लीजिये ···

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी आपत्ति को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री मदनसिंह दांता : अगर हम हिन्दुस्तान के कान्स्टीट्यूशन की बात कहें और आप अस्वीकार करें तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे इस सदन में रहना है या नहीं ? शायद शाम तक आपको इस्तीफा देने की नौबत आये। इसलिये बजट स्पीच को सुनूंगा नहीं। आपके पास पावर हैं। आप सदन की कार्यवाही चलायेंगे। पहले भी हम सारे लोग बाहर निकले। आज कोर्ट में मामला चल रहा है फिर भी व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि बजट पेश कर सकते हैं तो अफसोस है, अफसोस है, अफसोस है, अध्यक्ष महोदय।

(बहिर्गमन)

आय-व्ययक 1979-80 का उपस्थापन

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 1979-80 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. जनता सरकार के गठन के पश्चात् प्रदेश की विकास यात्रा में यह हमारा तीसरा चरण है। पिछले दो प्रयासों में हमने प्रदेश के आर्थिक ढांचे का पुनर्गठन किया है तथा विकास हेतु होने वाले विनियोजन के आकार व प्रकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। एक ओर जहां विकास-व्यय के आकार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर हमारा आर्थिक विकास अधिकाधिक ग्रामोन्मुख तथा सही अर्थों में लोकहितकारी व निर्धनता-निवारक होता चला जा रहा है।

3. पिछले वर्ष, इस वर्ष तथा अगले वर्ष कुल योजना-व्यय लगभग 712 करोड़ रुपये होगा जबकि 1974-75 से लेकर 1976-77 तक कुल योजना-व्यय 420 करोड़ रुपये था। अतः स्पष्ट है कि जनता सरकार ने पहले की तुलना में योजना-व्यय में लगभग 70 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की है।

4. यदि हम केवल योजना-व्यय ही नहीं अपितु विकास पर होने वाले समस्त विनियोजनों की तुलना करें तो यह स्पष्ट होगा कि 1974-75 में समस्त स्रोतों के माध्यम से विकास विनियोजन लगभग 371 करोड़ रुपये था जो कि प्रति व्यक्ति लगभग 131 रुपये आता था। चालू वर्ष में यह राशि बढ़ कर लगभग 770 करोड़ रुपये हो गई है तथा अगले वर्ष में इससे बढ़कर लगभग 934 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। इस प्रकार इस वर्ष समस्त विकास विनियोजन प्रति व्यक्ति लगभग 247 रुपये होगा व अगले वर्ष लगभग 293 रुपये हो जायेगा। अतः नई योजना के प्रथम वर्ष में प्रति व्यक्ति विकास विनियोजन पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष से 89 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है तथा अगले वर्ष यह इस वर्ष से भी लगभग 19 प्रतिशत अधिक हो जायेगा।

5. केवल विकास के आकार में ही अभूतपूर्व वृद्धि नहीं हुई है वरन् हमने विकास की धारा में भी एक चिर-प्रतीक्षित महत्वपूर्ण गुणात्मक मोड़ दिया है। पहले गरीब कृषकों, भूमिहीन मजदूरों तथा बेरोजगार ग्रामीण कारीगरों को ढूंढने पर भी वह योजना या वह सरकारी अधिकारी नहीं मिल पाता था जो उनको विकास के लाभ उपलब्ध करवा सके। अब स्थिति बिल्कुल उलट गई है, तथा सरकार की लगभग सारी योजनाएं तथा समस्त अधिकारी वर्ग स्वयं गांव-गांव में जाकर इन लोगों को ढूंढ-ढूंढ कर विकास की धाराओं से जोड़ रहे हैं। आज योजना की उपलब्धियां केवल उत्पादन के आंकड़ों द्वारा ही नहीं नापी जा रही हैं, वरन् उनका मूल्यांकन उन व्यक्तियों की सूची व संख्या को देखकर किया जाता है जिनको हर ग्राम में इनके द्वारा लाभान्वित किया गया। पुराने वस्तुमूलक लक्ष्य अब व्यक्तिपरक बनते जा रहे हैं। भौतिक विकास उत्तरोत्तर अधिक संवेदनशील तथा मानवीय बन रहा है। इस प्रकार हमारी योजनाएं शनैः शनैः गांधी जी के चिन्तन को चरितार्थ करती जा रही हैं।

6. विकास विनियोजन के इस विशाल आकार तथा गांधीवादी सुघड़ स्वरूप के कारण प्रदेश की सर्वतोमुखी प्रगति होती आ रही है। एक ओर जहां ग्रामोन्नति हमारी

(श्री आदित्येन्द्र)

प्राथमिकताओं का सिरमौर बन गई है, जिसके फलस्वरूप कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में हमारा संतुलित व तीव्र विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में उद्योग व खनिज उत्पादन भी बिना विशाल पूंजी का सहारा लिए नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वर्तमान आर्थिक विकास के साथ-साथ भावी उन्नति का पथ प्रशस्त करने के लिए हम आवश्यक मूल आधारों के सुदृढ़ आर्थिक ढांचे का अर्थात् बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी कर रहे हैं और भौतिक विकास के इन लक्ष्यों के समानान्तर मानवीय विकास के लिए कल्याणकारी सार्वजनिक व सामाजिक सेवाओं का भी यथोचित विकास एवं विस्तार हो, इस ओर भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं।

ग्रामीण विकास

7. मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि इस वर्ष के समग्र विकास-व्यय का 64 प्रतिशत हम ग्रामीण विकास पर खर्च करेंगे। अगले वर्ष के लिए इस प्राथमिकता पर और अधिक बल दिया गया है जिससे 1979-80 में ग्रामीण विकास पर होने वाले विनियोजन का प्रतिशत बढ़कर लगभग 70 प्रतिशत हो जायेगा, जो कि नीचे लिखी तालिका से स्पष्ट है :-

	करोड़ रुपये में बजट अनुमान 1979–80
(1) ग्रामीण सड़कें	15.58
(2) ग्रामीण विद्युतीकरण	42.74
(3) ग्रामीण पेयजल व्यवस्था आदि	20.61
(4) ग्रामीण शिक्षा	68.88
(5) ग्रामीण स्वास्थ्य	4.70
(6) अन्त्योदय	3.50
(7) ग्रामीण आर्थिक एवं कृषि विकास	310.05
ग्रामीण विकास पर कुल विनियोजन	466.06
कुल विकास नियोजन	668.79
विकास विनियोजन का प्रतिशत	69.69

8. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मुख्यतः दो पहलू हैं–एक तो वे कार्यक्रम हैं जो भौगोलिक अथवा क्षेत्रीय आधार पर बनाए गए हैं जैसे सिंचित क्षेत्र विकास, मरु विकास, जनजाति क्षेत्र विकास इत्यादि, जिनका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उपलब्ध संसाधनों के द्वारा समन्वित रूप से विकसित करना है। दूसरे वे कार्यक्रम हैं जिनमें ग्राम के निर्धन, पिछड़े हुए तथा साधनहीन कृषकों व भूमिहीन श्रमिकों को यथोचित आर्थिक सबल देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों में प्रमुख हैं–लघु तथा सीमान्त कृषक विकास, अन्त्योदय एवं एकीकृत ग्राम विकास–आदि।

9. उपरोक्त दोनों प्रकार के कार्यक्रमों का समन्वय कर ग्रामीण विकास केन्द्रों व समग्र ग्राम विकास की योजनाओं की रचना की जा रही है जिनकी क्रियान्विति 1979-80 में प्रारम्भ हो जायेगी।

क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

सिंचित क्षेत्र विकास

10. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान नहर परियोजना एवं चम्बल सिंचाई परियो-

(श्री आदित्येन्द्र)

जना क्षेत्रों का सघन विकास प्रमुख है। इन कार्यक्रमों पर अगले वर्ष संस्थागत वित्त एवं राज्य के संससोनों से कुल मिलाकर लगभग 16 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे, जिसके माध्यम से राजस्थान नहर क्षेत्र में 172 कि. मी. नहर पक्की करना, 78 कि. मी. सड़क का निर्माण करना, 312 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करना एवं 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास आदि कार्यक्रम क्रियान्वित किये जायेंगे। भूमि विकास कार्यक्रम में 7 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यावसायिक बैंकों एवं कृषि पुनर्वित्त विकास निगम से कृषकों को ऋण के रूप में प्राप्त होगी। इसी प्रकार चम्बल विकास क्षेत्रों में 25 कि. मी. सड़कों का निर्माण, 35 हजार हैक्टेयर में जलोत्सरण कार्य एवं 10 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य किया जायेगा। चम्बल क्षेत्र में भी कृष्कों को 2 करोड़ रुपये की राशि व्यवसायिक बैंकों एवं कृषि पुनर्वित्त विकास निगम से ऋण के रूप में प्राप्त होने की सम्भावना है।

(2) मरुस्थल विकासः—

11. प्रदेश का लगभग दो-तिहाई हिस्सा मरुस्थल है और इस क्षेत्र की समस्यायें राज्य के अन्य क्षेत्रों से बहुत भिन्न हैं। इसका समन्वित विकास करने के लिये इस समय दो प्रमुख कार्यक्रम अर्थात् सूखा संभाव्य क्षेत्र योजना एवं मरु विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिनमें इस वर्ष कुल 15.89 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में अगले वर्ष 25 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय की जायेगी। इस राशि में प्रमुख रूप से डेयरी विकास पर 3.93 करोड़ रुपये, कृषि पर 2.50 करोड़ रुपये, वन विकास पर 4.84 करोड़ रुपये, दुग्ध मार्गों के निर्माण पर 1.50 करोड़ रुपये तथा विद्युतीकरण कार्यक्रम पर 3.10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से एक राष्ट्रीय मरु विपिन की स्थापना की जायेगी।

इनके अतिरिक्त राजस्थान नहर परियोजना के क्रियान्वयन के लिये अगले वर्ष 32.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(3) जनजाति क्षेत्र विकासः—

12. राज्य की कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत भाग आदिवासियों एवं जनजातियों का है। इनके सर्वांगीण विकास के लिए अगले वर्ष कुल मिला कर लगभग 38 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे, जिसमें माही एवं जाखम जैसी वृहद सिंचाई परियोजनाओं पर 10.50 करोड़ रुपये तथा सोम कागदर, सोम कमला अम्बा तथा वैगन डाईवरशन पर 5 करोड़ रुपये व्यय होंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 9 करोड़ रुपये, औद्योगिक विकास के लिये 2.50 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण सड़कों के विस्तार हेतु 1.60 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। जनजाति क्षेत्र में ही ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर 1.30 करोड़ रुपये व्यय करने की योजना है।

13. इस क्षेत्र में सामाजिक सेवाओं की वृद्धि के लिए अगले वर्ष 150 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे, 10 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया जायेगा तथा 6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत

(श्री आदित्येन्द्र)

किया जायगा। चिकित्सा सेवाओं में विस्तार के लिए अगले वर्ष राज्य योजना के अन्तर्गत 5 नये सहायक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 2 उप-केन्द्र प्रारम्भ किये जायेंगे।

14. अब तक जनजाति क्षेत्र उपयोजना की क्रियान्विति केवल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र यथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों व उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिलों के कुछ भागों में ही की जाती थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि जनजाति के सदस्यों के विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों को ऐसे लघु खण्डों में भी क्रियान्वित किया जाय जहां पर कम से कम 50 प्रतिशत आबादी जनजाति की हो। इसके अनुसार राज्य के 37 लघु खण्डों का चयन किया गया है जिनके 1098 ग्रामों में 7.42 लाख व्यक्तियों को भी इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।

15. जनजाति के सदस्यों के लिए अगले वर्ष नये औद्योगिक प्रशिक्षण, मत्स्य पालन प्रशिक्षण, सिलाई व कटाई प्रशिक्षण एवं अन्य लघु उद्योगों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे, जिससे ये लोग विभिन्न रोजगारों में लगने योग्य बन सकें।

16. इन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रमों के विनियोजन व उत्पादन के आंकड़ों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

कृषि-उत्पादन

17. पिछले दो वर्षों में अतिवृष्टि तथा असमवृष्टि के बावजूद खाद्यान्न के उत्पादन में राज्य की स्थिति काफी सुधरी है। 1976-77 से 1978-79 तक खाद्यान्न-उत्पादन के आंकड़ों के अनुमानों के आधार पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति लगभग 249 किलोग्राम खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन का औसत केवल 195 किलोग्राम ही है। राजस्थान का नम्बर देश में खाद्यान्न उत्पादन में तीसरा है। खाद्यान्नों के उत्पादन से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रगति व्यापारिक फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन में वृद्धि से हुई है। देश में तिलहनों की कमी है तथा काफी मात्रा में तेल विदेशों से मंगाना पड़ता है। राजस्थान में तिलहन का क्षेत्रफल 1976-77 में 9.24 लाख हैक्टेयर था जो बढ़कर 1978-79 में 12.30 लाख हैक्टेयर हो गया है तिलहनों का उत्पादन भी 1976-77 में 3.43 लाख मैट्रिक टन से बढ़ कर 1978-79 में 4.50 लाख मैट्रिक टन हो गया है। इस प्रकार क्षेत्रफल और पैदावार दोनों में इन दो वर्षों में लगभग 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार गन्ने का क्षेत्रफल 1976-77 में 0.44 लाख हैक्टेयर से बढ़ कर 1978-79 में 0.60 लाख हैक्टेयर हो गया है, जिसमें 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कपास के क्षेत्रफल में भी इसी समय में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष 4.60 लाख गांठें कपास उत्पादन का लक्ष्य था जो कि अगले वर्ष बढ़ा कर 4.70 लाख गांठों का कर दिया गया है।

18. उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि की उन्नत विधियों का भी अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। 1976-77 में जबकि उन्नत किस्म के बीजों के अन्तर्गत केवल 12.41 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल था। 1978-79 में यह बढ़कर 16.48 लाख हैक्टेयर हो गया है। इस प्रकार इसमें इन दो वर्षों में

(श्री आदित्येन्द्र)

33 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। अगले वर्ष इस क्षेत्रफल को बढ़ाकर 17.80 लाख हैक्टेयर कर देने की योजना है।

19. उन्नत बीजों के वितरण में 1977-78 में पूर्व से 14 प्रतिशत वृद्धि हुई, 1978-79 में पिछले वर्ष की अपेक्षा 54 प्रतिशत की वृद्धि करने की योजना है तथा आगामी वर्ष में इस वर्ष की तुलना में 52 प्रतिशत अधिक वृद्धि करने का लक्ष्य है। कृत्रिम खाद वितरण में भी इस वर्ष, पिछले वर्ष से 25 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य है और अगले वर्ष इस वर्ष पर पुनः 11 प्रतिशत वृद्धि करने की योजना है।

20. 1976-77 तक संपूर्ण सिंचित क्षेत्र 29 23 लाख हैक्टेयर था, वह 1978-79 के अन्त तक 30 65 लाख हैक्टेयर हो जायेगा तथा अगले वर्ष इसमें 78 हजार हैक्टेयर की और वृद्धि होने की आशा है। इस प्रकार इन तीन वर्षों में सिंचित क्षेत्र में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी तथा 1976-77 में जहां सिंचित क्षेत्र समस्त बोए गए क्षेत्रफल का 18 प्रतिशत था वह अगले वर्ष 19 प्रतिशत हो जायेगा।

21. कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में इस वर्ष के कुल 101.38 करोड़ रुपये के विकास-व्यय की तुलना में अगले वर्ष 126.03 करोड़ रुपये का विकास-व्यय होगा।

वन-विकास

22. प्रदेश की बहुमूल्य वन सम्पदा के बचाव एवं वृद्धि के लिए राज्य सरकार बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है। इस क्षेत्र में अगले वर्ष लगभग 11 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। इस धनराशि से अवरकोटि के वनों के सुधार, वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण की विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी। अगले वर्ष सामाजिक वन विकास की एक परियोजना भी हाथ में ली जायेगी जिसके अन्तर्गत कृषकों को अपने खेतों पर वृक्ष लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त एक वन विकास निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव है, जिसका मुख्य उद्देश्य वन विकास को सुदृढ़ आर्थिक नीतियों के आधार पर और त्वरित तथा संगठित करना है।

पशुपालन एवं डेयरी विकास

23. राजस्थान में पशुपालन कृषि व्यवसाय का पूरक मात्र ही नहीं है वरन् यहां की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्रामीण जनता के एक बहुत बड़े भाग के जीवन यापन का प्रमुख साधन भी है। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य में अब तक प्रति औषधालय लगभग 45 हजार गौवंश इकाइयों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। अगले वर्ष 93 नये पशु चिकित्सालय खोले जायेंगे जिससे प्रति 36 हजार गौवंश इकाइयों पर एक चिकित्सालय उपलब्ध हो जायेगा।

24 इस वर्ष जयपुर, अजमेर एवं उदयपुर में पशु पालीक्लिनिक स्थापित किये जा चुके हैं तथा अगले वर्ष बीकानेर एवं कोटा में पाली क्लिनिक और खोले जायेंगे। अगले वर्ष एक बकरी प्रजनन एवं विकास केन्द्र खोलने तथा कुक्कुट विकास निगम स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इनके अतिरिक्त कोटा में एक नया पशुपालन प्रशिक्षण विद्यालय भी खोला जायेगा।

(श्री आदित्येन्द्र)

25. राज्य में डेयरी विकास की तीव्र प्रगति से सदस्यगण परिचित हैं। इस समय पूरे वर्ष के दुग्ध संकलन का औसत लगभग ढाई लाख लीटर प्रतिदिन है जो अगले वर्ष बढ़कर साढ़े तीन लाख लीटर हो जाने की आशा है, तथा विभिन्न दुग्ध उत्पादन समितियों की सदस्य संख्या 1 लाख से बढ़कर 1 लाख 20 हजार हो जायेगी। आशा है कि इस वर्ष में दूध के क्रय से प्राप्त 12 करोड़ रुपये के मूल्य की तुलना में अगले वर्ष उत्पादकों को लगभग 16 करोड़ रुपये प्राप्त होने लगेंगे।

26. अगले वर्ष 1 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला अलवर दुग्ध संयंत्र व डेढ़ लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला जयपुर संयंत्र कार्यशील हो जायेगा। बीकानेर और जोधपुर संयंत्रों की क्षमता भी बढ़ाकर डेढ़ लाख लीटर प्रतिदिन कर दी जायेगी। अजमेर में विद्यमान संयंत्र की क्षमता 30 हजार लीटर प्रतिदिन से बढ़ कर 1 लाख लीटर प्रतिदिन कर दी जायेगी। अगले वर्ष की समाप्ति तक तिजारा, कोटपूतली, दौसा, गंगापुरसिटी, भीलवाड़ा, विजयनगर, झुंझुनूं व ब्यावर में नये दुग्ध अवशीतन केन्द्र बनकर तैयार हो जायेंगे।

27. इस क्षेत्र में इस वर्ष के समस्त विकास-व्यय 10.72 करोड़ रुपये की तुलना में अगले वर्ष 11.71 करोड़ रुपये व्यय किया जायेगा।

सहकारिता

28. सहकारिता वर्ष 1978-79 में शत-प्रतिशत गांवों को सहकार आन्दोलन के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसकी शीघ्र ही प्राप्ति हो जायेगी। इस वर्ष विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा 75 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण एवं 20 करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य है तथा अगले वर्ष इससे भी कहीं अधिक राशि के ऋण वितरण की योजना है। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंकों द्वारा अन्त्योदय योजना की क्रियान्विति में अब तक 35 हजार से अधिक परिवारों को लगभग 7 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

29. अगले वर्ष यूरोपियन आर्थिक समुदाय की सहायता से 21.27 करोड़ रुपये की राशि से एक वृहद् ग्रामीण गोदाम निर्माण परियोजना की क्रियान्विति प्रारम्भ की जायेगी जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 3.22 लाख टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता स्थापित की जा सकेगी।

30. कपास की अच्छी उपज को दृष्टि में रखते हुए अगले वर्ष गंगानगर जिले में एक नई सहकारी सूत मिल की स्थापना की जा रही है जिसके लिए राज्य सरकार को 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम' से सहायता की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस मिल में कुल 4.98 करोड़ रुपये के विनियोजन द्वारा 25 हजार तकुए लगाने की योजना है।

31. हमारी विकास व्यवस्था में साधन-हीन कृषकों व मजदूरों को व्यक्तिगत रूप से आर्थिक अनुदान देकर अपने पैरों पर खड़े

(श्री आदित्येन्द्र)

करने के जो कार्यक्रम है उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:--

लघु एवं सीमान्त कृषक विकास

32. राज्य में चल रहे लघु एवं सीमान्त कृषक विकास कार्यक्रमों में इस वर्ष दिये जाने वाले लगभग 7 करोड़ रुपये के अनुदान से लगभग 70 हजार व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा सकेगा तथा अगले वर्ष लगभग 9 करोड़ रुपये के अनुदान के प्रावधान से 90 हजार और व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है इस अनुदान राशि के अनुपात से इन व्यक्तियों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय संस्थाओं से वांछित ऋण राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

अन्त्योदय

33. ग्रामीण अंचलों के निर्धनतम परिवारों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने व उनके जीवन-स्तर को आर्थिक रूप से ऊंचा उठाने हेतु अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 1,40,000 परिवारों को लाभान्वित किया गया। आगामी वर्ष में योजना द्वितीय चरण में 1,15,000 परिवारों को लाभान्वित किया जावेगा। इस वर्ष योजना के प्रथम चरण में इन परिवारों को 13.29 करोड़ रुपये के ऋण विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाये गये थे। इसकी तुलना में आगामी वर्ष में 22 करोड़ रुपये की राशि के ऋण उपलब्ध कराये जाने की आशा है। आगामी वर्ष में कुल मिलाकर इस योजना पर लगभग 35 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी।

एकीकृत ग्राम विकास

34. व्यक्तिमूलक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम एक अभिनव प्रयोग के रूप में प्रारम्भ किया गया है। इस वर्ष राज्य के 112 चयनित खण्डों में यह कार्य प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवा कर उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष व्यय की जाने वाली 2.35 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में अगले वर्ष 3.50 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

उद्योग और खनिज विकास

35. ग्रामीण विकास तथा उससे संबंधित प्रमुख योजनाओं का मैंने संक्षेप में वर्णन किया। अब मैं राज्य के औद्योगिक व खनिज उत्पादन व विकास कार्यक्रमों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

36. उद्योग विभाग में वर्ष 1976-77 में 2,844 लघु औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण हुआ जिनमें 14.86 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई व 19,511 व्यक्तियों को रोजगार मिला। 1977-78 में 3,396 इकाइयों का पंजीकरण हुआ व इनमें 22,251 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। इस वर्ष दिसम्बर, 1978 तक 2,392 इकाइयों का पंजीकरण किया जा चुका है जिनमें 13.84 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई गई है ! व 14,669 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। इस तरह उद्योग विभाग के माध्यम से पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की

(श्री आदित्येन्द्र)

संख्या 1976–77 में 22,946 से 25 प्रतिशत बढ़कर दिसम्बर, 1978 तक 28,734 हो गई है। 1979-80 में 3,000 लघु औद्योगिक इकाइयां शहरी क्षेत्रों में तथा 2,000 लघु औद्योगिक इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। इनमें लगभग 20 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन होगा तथा लगभग 35 हजार व्यक्तियों को नए रोजगार मिलने का अनुमान है।

37. जून, 1977 तक 69 औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के विभिन्न भागों में स्थापित थे जिनकी संख्या 1978–79 में बढ़ कर 121 हो गई है। इनमें 31–3–77 तक 2,363 प्लाट्स का आवंटन हुआ था जबकि 31–12–78 तक 3,411 प्लाट्स का आवंटन हो गया है।

38. आशा है कि चालू वर्ष में खादी व ग्रामोद्योग द्वारा बनाई हुई वस्तुओं का उत्पादन मूल्य लगभग 17.50 करोड़ रुपये से बढ़कर 21.45 करोड़ रुपये हो जायेगा। इन उद्योगों में इस वर्ष पिछले वर्ष के लगभग 1.36 लाख की तुलना में 1.66 लाख लोग रोजगार पा रहे हैं।

39. अगले वर्ष उद्योगों के लिए कुल 11.39 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है जो इस वर्ष के 10.28 करोड़ रुपये की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।

40. राज्य में खनिज सम्पत्ति के उत्पादन व उपयोग में पिछले 2 वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 1977 में उत्पादित समस्त खनिजों का विक्रय-मूल्य लगभग 43.17 करोड़ रुपये था जो 1978 में बढ़कर लगभग 54.54 करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार यह वृद्धि लगभग 26 प्रतिशत होगी। सीसा, जस्ता, जिप्सम, राक फास्फेट, लाइम स्टोन, सोपस्टोन आदि सभी प्रधान तथा अप्रधान खनिजों के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। खनिज विकास के लिए अगले वर्ष 10.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आवश्यक मूल आधार विकास

41 भविष्य के आर्थिक विकास के आधार को सुदृढ़ करने हेतु राज्य में बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए समुचित कदम उठाये जा रहे हैं। हमारी आयोजना व्यय का लगभग 60 प्रतिशत सिंचाई एवं विद्युत् प्रसार पर खर्च हो रहा है। इस वर्ष के 65 करोड़ रुपये की तुलना में अगले वर्ष सिंचाई पर कुल 67 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। इसी प्रकार इस वर्ष के विद्युत् विनियोजन की 71 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में अगले वर्ष 90 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

42. सिंचाई के क्षेत्र में जो विस्तार हो रहा है उसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। विद्युत् प्रसार तथा प्रति व्यक्ति विद्युत् उपलब्धि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जबकि 1976–77 में प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग लगभग 70 किलोवाट था, 1978–79 में यह बढ़ कर लगभग 102 किलोवाट हो जायेगा। इस प्रकार इन दो वर्षों में प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग में 45 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है आशा है अगले वर्ष के अन्त तक प्रति व्यक्ति विद्युत् उपभोग

(श्री आदित्येन्द्र)

113 किलोवाट हो जायेगा। कृषि तथा सिंचाई के लिए काम में आने वाली बिजली की मात्रा में भी पिछले दो वर्षों में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

43 ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक विद्युतीकरण हो रहा है। 1976-77 में जहां केवल 8,518 गांवों मे बिजली उपलब्ध थी वहां 1978-79 में लगभग 11,800 गांवों में बिजली पहुंच गई है तथा 1979-80 में 2,000 और गांवों में विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य है। इस प्रकार जहां 1976-77 में प्रदेश के केवल 26 प्रतिशत गांवों में ही बिजली की सुविधा उपलब्ध थी, वह 1978-79 में बढ़कर 35 प्रतिशत गांवों में उपलब्ध हो गई है व 1979-80 में यह प्रतिशत बढ़कर 42 हो जायेगा, ऐसी आशा है।

44. इस वर्ष 25,000 कुओं में बिजली के कनेक्शन लगाकर सिंचाई का प्रबन्ध किया जा रहा है। आशा है कि अगले वर्ष 30,000 कुओं पर बिजली लगाई जा सकेगी, जिससे इस प्रकार के कुओं की कुल संख्या प्रदेश में लगभग 1 लाख 83 हजार हो जायेगी।

45. सड़कों के कि निर्माण व सुधार पर भी यथोचित ध्यान दिया गया है। 1976-77 में 265 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई व 601 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया इसकी तुलना में 1977-78 में 505 किलोमीटर नयी सड़क बनाई गई व 439 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया 1978-79 में 536 किलोमीटर नई सड़कें बन जायेंगी व 143 किलोमीटर सड़कों का सुधार हो जायेगा। इसके अतिरिक्त इस वर्ष मण्डी क्षेत्र में राज्य विपणन बोर्ड ने 540 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्वीकृति दे दी है, और लगभग 130 किलोमीटर अधूरी सड़कों को विपणन बोर्ड अपने माध्यम से पूरा करवा रहा है। 1979-80 में 820 किलोमीटर नई सड़कें बनाने व 375 किलोमीटर पुरानी सड़कों के सुधार का लक्ष्य रखा गया है। इस व्यय के फलस्वरूप 1500 से कम जनसंख्या वाले लगभग 235 और गांवों को सड़कों से जोड़ा जा सकेगा।

46. इस वर्ष के सार्वजनिक निर्माण विभाग के 47.95 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में अगले वर्ष में कुल 67.49 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जा रहा है।

47. भवनों व सड़कों की मरम्मत व सुधार के लिये भी पिछले साल की 19.05 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में अगले वर्ष में 21.65 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है जिससे बनी हुई सम्पत्ति का ठीक से रख-रखाव हो सके।

48. राज्य के आर्थिक विकास तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण की उपरोक्त महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ-साथ जनता सरकार ने सामाजिक सेवाओं, समाज कल्याण तथा अन्य जन-कल्याणकारी योजनाओं की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया है।

शिक्षा

49. प्राथमिक शिक्षा को सर्व-सुलभ करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु चालू वित्तीय

(श्री आदित्येन्द्र)

वर्ष में प्रदेश में प्रत्येक 400 की जनसंख्या वाले ग्राम में प्राथमिक शाला तथा 2,000 तथा 3,000 की जनसंख्या पर क्रमशः उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं। अगले वर्ष 1,050 नयी प्राथमिक शालाएं, 100 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 70 माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। तदनुसार अगले वर्ष की समाप्ति तक राज्य के प्रत्येक 330 जन संख्या वाले ग्राम में एक प्राथमिक शाला उपलब्ध हो जायेगी तथा जनजाति व मरुक्षेत्रों में जनसंख्या इकाई 300 हो जायेगी। इन नये विद्यालयों को प्रारम्भ करने पर 1 करोड़ रुपये से भी अधिक व्यय होने की सम्भावना है।

50. विद्यालयों के इस प्रसार के बावजूद समाज का बहुत बड़ा वर्ग फिर भी औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जायेगा। अतः उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। इस गतिविधि के अन्तर्गत अगले वर्ष 1,000 नये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र प्रारम्भ किये जायेंगे। इन केन्द्रों से 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 40 हजार बालक-बालिकाओं को लाभ मिल सकेगा। इन पर कुल 47 लाख रुपये व्यय होगा। वर्तमान विद्यालयों में छात्रों एवं छात्राओं के प्रवेश में वृद्धि एवं उनको नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिये निर्धारित कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले वर्ष 54.42 लाख रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत उन्हें निःशुल्क पुस्तकें व स्कूल की पोशाकें दी जाएंगी।

51. प्राथमिक शालाओं में छात्र संख्या की निरन्तर वृद्धि के संदर्भ में अनुभव की जा रही कमी की पूर्ति हेतु अगले वर्ष 1,315 अध्यापकों के पद ग्रामीण क्षेत्र में एवं 200 अध्यापकों के पद शहरी क्षेत्र में सृजित किये जाने का प्रस्ताव है। इसी सन्दर्भ में विभिन्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1,458 अध्यापकों के पद सृजित किये जायेंगे। इन पदों के सृजन पर कुल 1 करोड़ 37 लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

52. शिक्षा में गुणात्मक विकास की दृष्टि से राज्य में चल रही विभिन्न शैक्षिक अनुसन्धान इकाइयों को एक सूत्र में आबद्ध कर एक राज्य शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया गया है। अगले वर्ष इस संस्थान के अनुसंधान तथा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु लगभग 16 लाख रुपये योजना मद मे व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

53. माननीय सदस्यगण इस बात से भली-भांति अवगत हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों के भवनों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस दिशा में काफी कार्य 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है। तथापि अगले वर्ष विभिन्न विद्यालय भवनों में नये कमरों के निर्माण हेतु लगभग 1 करोड़ 21 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

54. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले वर्ष की योजना में 70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे 3,400 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाये जायेंगे तथा इस क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं को केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(श्री आदित्येन्द्र)

55. अल्प संख्यक भाषाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राज्य सरकार ने वर्तमान में कार्यरत उर्दू अकादमी के अतिरिक्त सिन्धी अकादमी की भी स्थापना की है। इसके अतिरिक्त टोंक में अरबी एवं फारसी के शोध कार्य को अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एक निदेशालय भी स्थापित किया गया है।

56. कला व संस्कृति की विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अगले वर्ष की योजना में 44.75 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है जिससे संगीत संस्थान, कला संस्थान, नवस्थापित कत्थक केन्द्र व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों को अनुदान दिया जायेगा।

57. शारीरिक शिक्षा एवं खेल-कूद की गतिविधियों को और प्रोत्साहन देने की दृष्टि से राज्य-क्रीड़ा परिषद् के अनुदान में वृद्धि की जा रही है एवं अगले वर्ष एक नया खेल-कूद विद्यालय प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

58. शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर इस वर्ष के कुल 113.49 करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में अगले वर्ष 125.54 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

चिकित्सा

59. जनता सरकार ने शिक्षा की तरह चिकित्सा सेवाओं का भी क्रमबद्ध एवं त्वरित विस्तार किया है। शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 40 हजार की आबादी पर एक डिस्पेन्सरी खोली जा चुकी है तथा प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम 2 डिस्पेन्सरियां तथा एक एडपोस्ट अथवा 3 डिस्पेन्सरियां स्थापित की जा चुकी हैं। इनके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 10 हजार की आबादी पर एक उप-केन्द्र स्थापित करने का भी लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार पिछले वर्ष तथा इस वर्ष कुल मिलाकर 203 नई डिस्पेन्सरियां, 110 एड-पोस्ट तथा 296 उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं।

60. अगले वर्ष राज्य में 51 नई ग्रामीण डिस्पेन्सरियां तथा 10 शहरी डिस्पेन्सरियां खोलना प्रस्तावित है जिन पर लगभग 35 लाख रुपये का व्यय संभावित है। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से अब समस्त ग्रामीण डिस्पेन्सरियों को सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया गया है। इनके अतिरिक्त 2 लाख रुपये की लागत से 20 नये उप केन्द्र भी खोले जायेंगे। क्रमिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 13 जिलों में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 शय्याओं वाले रेफरल हास्पिटल में क्रमोन्नत किया जा चुका है तथा अगले वर्ष राज्य के 5 अन्य जिलों में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल हास्पिटल में परिवर्तित करने हेतु 16.56 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

61. चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों की क्रियान्विति में प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की अत्यन्त कमी महसूस की जाती रही है। यह कमी विशेषतौर से रेगिस्तानी एवं जनजाति क्षेत्रों में है। अतः अगले वर्ष बाड़मेर एवं बांसवाड़ा में नर्सिंग प्रशिक्षण विद्यालय प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री आदित्येन्द्र)

62. आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में 10 औषधालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये क्रमिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले वर्ष 66 नए औषधालय खोले जाऐंगे जिनमें से 50 ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे।

63. केन्द्रीय कोष से संचालित जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना 2 अक्टूबर, 1977 से प्रारम्भ हो गई है। 1977-78 के प्रथम चरण में इसे 27 पंचायत समितियों में प्रारम्भ किया गया था। 1978-79 में यह योजना 78 पंचायत समितियों में चल रही है। अब तक 31 हजार जन स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षित किये जा चुके हैं जिनसे 31 लाख जनता लाभान्वित हो रही है। अगले वर्ष 23 पंचायत समितियों के लिये लगभग 2500 और स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने की योजना है।

64. चिकित्सा के क्षेत्र में इस वर्ष के 34.46 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान को बढ़ाकर अगले वर्ष 36.75 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

समाज कल्याण

65. इस समय अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिये विभिन्न श्रेणियों के 326 छात्रावासों में 14,610 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। अगले वर्ष इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत 9 नये छात्रावास स्थापित किये जायेंगे जिनमें लगभग 225 और छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के अन्तर्गत पिछड़ी जातियों एवं जनजातियों के लगभग 90 हजार छात्रों को पूर्व मैट्रिक एवं 11 हजार छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्र-वृत्ति दिये जाने के लिये बजट में लगभग 1 करोड़ 42 लाख रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2100 विकलांग छात्रों की भी छात्रवृत्ति अलग से उपलब्ध कराई जा रही है।

66 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन दिये जाने के लिए इस वर्ष के 265 लाख रुपये की तुलना में अगले वर्ष 330 लाख रुपये का प्रावधान रख दिया गया है जिससे लगभग 65 हजार व्यक्ति लाभान्वित हो सकेंगे।

67. जनजाति क्षेत्र उपयोजना के समानान्तर अनुसूचित जाति उपयोजना बनाये जाने का राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है। इस योजना की क्रियान्विति के लिये अगले वर्ष एक अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना की जायेगी।

68 जयपुर में 200 शय्याओं वाले एक बाल रोग चिकित्सालय की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इसी वर्ष में छबड़ा, छोटी सादड़ी तथा पिंडवाड़ा में नयी समन्वित बाल विकास योजनाएं भी प्रारम्भ की गई हैं। अगले वर्ष मानसिक रोग से पीड़ित बच्चों के लिए एक और संस्था की स्थापना की जायेगी, तथा 2 नये पालना गृह भी प्रारंभ किये जायेंगे।

ग्रामीण जल प्रदाय

69. पेयजल की समस्या का हल निकालने के लिये राज्य सरकार पूर्णरूप से कृत संकल्प है तथा विश्व बैंक एवं अन्य

(श्री आदित्येन्द्र)

वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त कर ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय की गति को और त्वरित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष व इस वर्ष 650 ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका है तथा अगले वर्ष ग्रामीण पेयजल व्यवस्था आदि पर 20.61 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है, जिससे लगभग 600 अतिरिक्त ग्रामों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

रोजगार

70. विभिन्न विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत विनियोजन से राज्य के आर्थिक विकास के साथ-साथ बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया गया है। अधिकाधिक रोजगार सृजन करने की क्षमता वाले विकास कार्यक्रम, यथा अन्त्योदय, लघु तथा सीमान्त कृषक विकास, सूखा संभाव्य क्षेत्र व मरु विकास, जनजाति विकास एवं एकीकृत व समग्र ग्रामीण विकास के द्वारा लाखों व्यक्तियों को जीविका उपार्जन के उपयुक्त साधन उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त खादी ग्रामोद्योग व अन्य छोटे उद्योगों द्वारा भी हजारों व्यक्तियों का जीवनयापन संभव हो रहा है।

71. उपलब्ध अनुमानों के आधार पर अगले वर्ष राज्य की श्रम शक्ति में 3.41 लाख व्यक्तियों की वृद्धि अनुमानित की गई है। पूंजीगत तथा अन्य विकास व्यय के द्वारा जो अतिरिक्त पूर्ण नियोजन के अवसर उपलब्ध होंगे उनके द्वारा न केवल इस वृद्धि के लिए ही अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे, वरन् पूर्व से चले आ रहे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में भी कमी कर पाना संभव हो सकेगा।

72. तकनीकी व्यक्तियों के लिए भी काफी संख्या में रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे। लगभग 50 अभियान्त्रिकी स्नातक, 700 डिप्लोमाधारी, 100 कृषि स्नातक, 65 पशु चिकित्सक, 140 डॉक्टर व 110 वैद्यों को नये रोजगार मिलने की सम्भावना है। सामान्य शिक्षा प्राप्त लगभग 13,000 व्यक्तियों के लिए नियोजन के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

राज्य कर्मचारी कल्याण

73. राज्य कर्मचारियों के कल्याण हेतु लिए गये विभिन्न निर्णयों में से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्न प्रकार हैं :—

1. कर्मचारियों को अधिवार्षिकी आयु पर सेवा निवृत्त होने पर सेवा-निवृत्ति के समय अवशेष उपार्जित अवकाशों में से 120 दिन तक का अवकाश का नकद भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

2. राज्य कर्मचारियों के लिए उपलब्ध वर्तमान चिकित्सा सुविधाओं को और अधिक उदार बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को, उन बीमारियों के लिए, जिनके लिए राजकीय अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, राज्य के बाहर विशिष्ट नामजद अस्पतालों में चिकित्सा करवाने की सुविधा प्रदान करदी जाएगी।

(श्री आदित्येन्द्र)

3. राज्य कर्मचारियों के उन माता-पिता जो पूर्णतया उन पर निर्भर हैं, के चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा इसी शर्त पर देय होगी कि कर्मचारी के माता-पिता उसके साथ उसके पद-स्थापन के स्थान पर निवास करते हों तथा उनकी सभी स्रोतों से निजी आय 250/-रुपये मासिक से अधिक न हो।

4. अन्धे एवं विकलांग राज्य कर्मचारियों को उनके वेतन के 10 प्रतिशत की दर से परन्तु अधिकतम 50/- रुपये प्रति माह तक वाहन भत्ता स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. जिन व्यक्तियों को राजस्थान के बनने के पूर्व सरकार द्वारा पेंशन भत्ते आदि की 40/- रुपये प्रतिमाह से कम स्वीकृत थी, राशि उसको बढ़ाकर 1-4-1979 से 40/-रुपये प्रतिमाह कर दिया जायेगा।

74. विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लक्ष्यों तथा प्रावधानों के वर्णन के पश्चात् अब मैं अगले वर्ष की योजना के मदवार विस्तार तथा इन योजना के लिए संसाधनों के संग्रह के विषय में बताता हूं।

वार्षिक योजना 1979–80

(करोड़ रुपये में)

मद	वार्षिक योजना व्यय 1978–79	वार्षिक योजना व्यय 1979–80	प्रतिशत वृद्धि मूल योजना पर
1. कृषि एवं संवद्ध सेवाएं	25.86	32.91	27.26
2. सहकारिता	2.11	4.55	115.64
3. सिंचाई एवं विद्युत् विकास	139.35	157.40	12.95
4. उद्योग एवं खनिज	8.19	12.56	53.36
5. परिवहन एवं संचार	18.04	24.50	35.81
6. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	41.05	41.45	0.97
7. अन्य	1.37	-1.63	18.98
योग—	235.97	275.00	16.54

(श्री आदित्येन्द्र)

75. उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होगा कि अगले वर्ष की योजना का आकार इस वर्ष की योजना से 16.54 प्रतिशत अधिक होगा। पूर्व की भांति योजना व्यय में सिंचाई एवं विद्युत् विकास के लिए अगले वर्ष भी कुल व्यय का 57.24 प्रतिशत प्रावधान करके इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके पश्चात् सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं तथा कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए क्रमश: 15 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत प्रावधान किया गया है। शेष 15.76 प्रतिशत व्यय परिवहन तथा संचार, उद्योग एवं खनिज, सहकारिता तथा अन्य मदों पर होगा।

76. उपरोक्त 275 करोड़ रुपये की योजना व्यय के अतिरिक्त 'काम के बदले अनाज' योजना के अन्तर्गत 45.53 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है तथा अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में 48.78 करोड़ रुपये व्यय होने के संकेत आ गये हैं। सभी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं संबंधी प्रावधानों की केन्द्रीय सरकार से पूरी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह अनुमान है कि 1979–80 में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपये का विनियोजन हो सकेगा। इसके अतिरिक्त 22.02 करोड़ रुपये की वचनबद्ध देयता, जो कि इस वर्ष योजना परिव्यय में सम्मिलित है, अगले वर्ष योजना भिन्न व्यय में सम्मिलित कर ली गई है। अत: अगले वर्ष कुल योजना व्यय लगभग 442.55 करोड़ रुपये का होगा।

77. 275 करोड़ रुपये के योजना-परिव्यय के लिए राज्य के वर्तमान साधनों से 54.39 करोड़ रुपये तथा योजना भिन्न खाते की बचत से 71.72 करोड़ रुपये उपलब्ध होने का अनुमान है। 92.45 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता को सम्मिलित कर कुल उपलब्ध साधन 218.56 करोड़ रुपये के हैं।

सामान्य प्रशासन

78. योजनाबद्ध विकास के लिये सुदृढ़ एवं कुशल प्रशासन तंत्र आवश्यक है। वित्त आयोग ने भी राज्य सरकार के इस तर्क को मानते हुए, बुनियादी प्रशासनिक ढांचे के स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विशेष प्रावधान किये है। संसाधनों के अभाव में हम इन क्षेत्रों में बहुत अर्से से वांछित सुविधाएं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाये हैं। अब इन विशेष प्रावधानों एवं राज्य के अन्य संसाधनों को सम्मिलित कर इन क्षेत्रों में क्रमिक विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले वर्ष राजस्व, जिला एवं जनजाति प्रशासन के पुनर्गठन एवं विविध स्तरों पर भवन निर्माण पर कुल 1.94 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : पहले ही बहुत है।

श्री आदित्येन्द्र : पुलिस प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु अगले वर्ष लगभग सवा तीन करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है। इस राशि से जयपुर शहर की पुलिस व्यवस्था का पुनर्गठन, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी थानों की नफरी में वृद्धि, राष्ट्रीय राज मार्गों पर पैट्रोलिंग के लिये अतिरिक्त स्टाफ तथा भवनों व उपकरणों की व्यवस्था की जायगी। इसी राशि में से पुलिस

Page No.22

(श्री आदित्येन्द्र)

कर्मचारियों के लिये आवासीय व्यवस्था हेतु अगले वर्ष 26 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि केन्द्रीय सरकार से इस हेतु ऋण के रूप में प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली राशि के अतिरिक्त होगी। बाल-बंदी सुधार गृह हेतु पृथक् भवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए अजमेर में बाल बंदी सुधार गृह भवन बनाने का प्रस्ताव है, जिस पर कुल अनुमानित लागत 15 लाख रुपये आयेगी।

80. न्यायालयों में दीर्घकाल से अनिर्णीत मामलों की संख्या में निन्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष 9 सैशन न्यायालय व 39 न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिस हेतु 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। नये न्यायालयों के भवन तथा न्यायिक अधिकारियों की आवासीय व्यवस्था के लिये भी 28 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

81. 1977-78 का परिवर्तित बजट प्रस्तुत करते समय मैंने यह कहा था कि हमें 75.26 करोड़ रुपये की ऋणात्मक स्थिति धरोहर के रूप में भूतपूर्व सरकार से मिली है। 1977-78 में वित्तीय स्थिति में लगभग 60 करोड़ रुपये का सुधार हुआ तथा 31 मार्च, 1978 को वास्तविक घाटा केवल 14.89 करोड़ रुपये रह गया।

संशोधित अनुमान 1978-79

82. 1978-79 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों की समग्र स्थिति इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपये में)

	बजट अनुमान 1978-79	संशोधित अनुमान 1978-79
1. राजस्व प्राप्तियां	539.16	599.27
2. राजस्व व्यय	503.71	548.88
3. राजस्व खाते में बचत	+35.45	+50.39
4. पूंजीगत प्राप्तियां	162.86	189.45
5. पूंजीगत व्यय	221.36	243.86
6. पूंजी खाते में घाटा	−58.50	−54.41
शुद्ध घाटा (6-3)	−23.05	−4.02

इस प्रकार इस वर्ष का अनुमानित घाटा अब 23.05 करोड़ रुपये से कम होकर केवल 4.02 रुपये रह जायेगा।

बजट अनुमान 1979-80

83. वर्ष 1979-80 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपये में)

1. राजस्व प्राप्तियां	616.77
2. राजस्व व्यय	585.34

(श्री आदित्येन्द्र)

(करोड़ रुपये में)

3.	राजस्व खाते में बचत	31.43
4.	पूंजीगत प्राप्तियां	181.71
5.	पूंजीगत व्यय	269.58
6.	पूंजी खाते का घाटा	−87.87
	शुद्ध घाटा (6-3)	−56.44

84. इस वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में अगले वर्ष राजस्व आय में 17.50 करोड़ रुपये की वृद्धि तथा व्यय में 36.46 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान हैं। राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यत: पांचवी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर योजना-व्यय को 22.02 करोड़ रुपये की वचनबद्ध देयता के सम्मिलित हो जाने के कारण है। राजस्व खाते में पूर्वापेक्षा कम बचत होने का भी यही कारण है।

85. पूंजी खाते में संशोधित अनुमानों की अपेक्षा कम प्राप्तियां केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अल्पकालीन एवं अन्य ऋणों के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त न होने के कारण है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि विकास योजनाओं में अधिक पूंजी विनियोजन के कारण है। इस प्रकार पूंजी खाते में कुल 87.87 करोड़ रुपये का घाटा होगा जो कि राजस्व खाते की 31.43 करोड़ रुपये की बचत के कारण 56.44 करोड़ रुपये के शुद्ध घाटे में परिवर्तित हो जायेगा।

सातवां वित्त आयोग

86. उपरोक्त आंकड़ों द्वारा अगले वर्ष की जो विषम वित्तीय स्थिति प्रकट हुई है उसका प्रमुख कारण सातवें वित्त आयोग द्वारा अगले पांच वर्षों के लिये केन्द्र से राजस्थान को अंतरित होने वाली राशि का विभेदकारी निर्धारण है। जबकि पांचवें व छठे वित्त आयोगों ने कुल राज्यों को अंतरित होने वाली राशि का क्रमश: 5.20 प्रतिशत तथा 5.87 प्रतिशत राजस्थान को दिया था, सातवें वित्त आयोग ने इस प्रतिशत को घटाकर 4.33 कर दिया है। वित्त आयोग के माध्यम से राजस्थान को प्राप्त होने वाली राशि प्रति व्यक्ति केवल 350 रुपये आती है जबकि देश के आठ राज्यों को 361 से लेकर 449 रुपये प्रति व्यक्ति तक मिला है।

87. योजना बनाने के लिए प्रमुख वित्तीय साधन योजना-भिन्न खाते में होने वाली राजस्व बचत हुआ करती है। सातवें वित्त आयोग ने राजस्थान के लिए बहुत ही अल्प राजस्व बचत छोड़ी है। हमारी प्रति व्यक्ति राजस्व बचत 85 रुपये हैं जबकि कुछ अन्य राज्यों की जैसे हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र व गुजरात आदि की यह राशि क्रमश: 676 रुपये, 597 रुपये, 596 रुपये व 423 रुपये प्रति व्यक्ति है।

88. राजस्थान की मुख्य आर्थिक समस्याएं हैं– हमारा विशाल क्षेत्रफल, चिरकालीन आर्थिक पिछड़ापन तथा हमारे ऊपर पूर्व में एकत्रित हुआ अपार ऋण-भार। आयोग ने क्षेत्रफल को आधार मानना स्वीकार नहीं किया है तथा पिछड़ेपन की परिभाषा का मुख्य आधार कुल जन संख्या

(श्री आदित्येन्द्र)

में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जन संख्या का प्रतिशत माना है। विभिन्न प्रदेशों में गरीबी की रेखा के नीचे कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं इसके लिये विभिन्न संस्थाओं व अर्थशास्त्रियों द्वारा किये गये अध्ययनों में एकरूपता नहीं है। गरीबी की रेखा क्या हो—इस सम्बन्ध में भी अर्थशास्त्रियों में मत-भेद हैं। वित्त आयोग ने प्रोफेसर डांडेकर व रथ द्वारा किये गये अध्ययन को आधार मानकर अपना नया फार्मूला बनाया है जिससे राजस्थान को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से हिस्से के रूप में मिलने वाली राशि का अनुपात कम हो गया है। फलस्वरूप राजस्थान को सातवें वित्त आयोग ने आशा से बहुत कम केन्द्रीय सहायता का अधिकारी बनाया है।

योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

89. सातवें वित्त आयोग द्वारा राजस्थान पर की हुई ज्यादती के बाद आशा थी कि योजना के लिए जो केन्द्रीय सहायता राज्यों को प्राप्त होती है उसके वितरण के सिद्धान्तों के पुनर्निर्धारण द्वारा हमारी वित्तीय स्थिति संतुलित हो जायेगी। किन्तु खेद है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता पर जो निर्णय हाल ही में लिये है, उनके फलस्वरूप राजस्थान को राहत मिलने के बजाय और अधिक धक्का पहुंचा है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को कम कर जिस 2000 करोड़ रुपये की राशि को हाल ही में राज्यों मे बांटने का निर्णय लिया गया है, उसमें से राजस्थान का हिस्सा नए सिद्धान्त के अनुसार केवल 5.15 प्रतिशत होगा, जबकि गाडगिल फार्मूला के आधार पर यह लगभग 5.76 प्रतिशत होता।

90. अब तो केवल एक आशा है कि केन्द्र सरकार ने विशेष समस्याओं वाले राज्यों के लिए जो 600 करोड़ रुपये की राशि सुरक्षित रखी है उसमें से राजस्थान को इतनी पर्याप्त राशि मिल जाय कि सातवें वित्त आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् के प्रतिकूल निर्णयों का कुप्रभाव दूर किया जा सके।

कर प्रस्ताव

91. अर्थ-रथ के आय व व्यय रूपी दो चक्र होते हैं। इन चक्रों के आकार का साम्य इस रथ को अबाध तथा तीव्र गति देता है। मैंने अब तक आपको बताया कि किस प्रकार हम विकास-व्यय के आकार को निरन्तर बढ़ाते चले आ रहे हैं। फलत: आय वाला चक्र छोटा ही रह गया है और अब हमें 56.44 करोड़ के घाटे की पूर्ति की व्यवस्था पर विचार करना है। इस संबंध में मेरे प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

विद्युत् शुल्क

92. वर्तमान में उन व्यक्तियों पर जो अपने उपयोग के लिए स्वयं बिजली उत्पादित करते हैं, विद्युत शुल्क नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त अधिसूचित उद्योगों को छोड़ कर जिन्हें छूट दी गई है, अन्य उद्योगों पर, जो विभिन्न प्रकार के निर्माण, उत्पादन आदि के कार्य में लगे हुए हैं, विद्युत शुल्क एक पैसा प्रति यूनिट की रियायती दर पर वसूल किया जा रहा है। अब यह प्रस्तावित है कि इस दर को बढ़ाकर 2 पैसा प्रति यूनिट

(श्री आदित्येन्द्र)

कर दिया जाय और यही दर उन व्यक्तियों से भी वसूल की जाय जो बिजली का उत्पादन अपने उपयोग के लिये करते हैं।

इसी प्रकार ऐसे उपभोक्ताओं से भी विद्युत् शुल्क वसूल करने का प्रस्ताव है जिन्हें अपने उपयोग के लिए बिजली उत्पादन करने वाले व्यक्तियों से बिजली मुफ्त में मिलती है। ऐसे उपभोक्ताओं से विद्युत् शुल्क सामान्य दर पर अर्थात 6 पैसा प्रति यूनिट की दर से ही वसूल किया जाएगा।

स्टाम्प शुल्क

93. स्टाम्प अधिनियम की द्वितीय अनुसूची को 1976-77 में संशोधित किया गया था। स्लेब सिस्टम के आधार पर जिन लिखतों पर ग्रेडेड दर पर शुल्क लगता था, उनको छोड़कर अन्य लिखतों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 1977-78 में संशोधन किया गया। अब बौण्ड (अनुच्छेद 15), अन्तरण विलेख (अनुच्छेद 23) तथा अन्य संबंधित अनुच्छेद 2, 8, 12, 55 एवं 57 के संबंध में लगने वाले स्टाम्प शुल्क की दरों में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है।

अन्य लिखतों पर भी जिन पर बौण्ड और अन्तरण विलेख की दर से स्टाम्प शुल्क लिया जाता है, तदनुसार शुल्क में वृद्धि होगी।

भू-राजस्व

94. बन्दोबस्त कार्यक्रम के अनुसार इस समय राज्य की 96 तहसीलें समयावधि को पार कर चुकी हैं। इनमें से 24 का संवत् 2019 से 2024 के बीच में, 57 का सम्वत् 2028 से 2032 के बीच में और शेष का इस अवधि के पश्चात् बन्दोबस्त कर दिया जाना था। इन तहसीलों में पिछले बन्दोबस्त की तारीख से 20 वर्ष पूर्व की औसत कीमतों, एवं उसी अवधि की औसत उपज के आधार पर भू-राजस्व की दर कायम की गई थी। उस समय से अब तक कृषि के क्षेत्र में प्रचुर विकास होने से औसत कृषि-उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा किसानों को अब पूर्वापेक्षा अपने उत्पादन के लिये बेहतर मूल्य मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में यदि निर्धारित समयावधि में बन्दोबस्त कर दिया जाता तो भू-राजस्व में काफी वृद्धि हो जाती, परन्तु वित्तीय साधनों एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव में यह संभव नहीं हो पाया। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के ऐसे समस्त क्षेत्रों में जहां बन्दोबस्त की अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन वर्ष, या उससे अधिक की अवधि गुजर चुकी है, अगला बंदोबस्त होने तक, भू-राजस्व की दर में 25% तदर्थ वृद्धि कर दी जाय। यह क्रम भविष्य में भी चलता रहेगा।

95. राज्य में अभी कई ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जहां सरकारी खर्च से नहर का निर्माण कर दिया गया है परन्तु उससे लाभान्वित कृषकों की जमीन अभी भी बंदोबस्त रिकार्ड में असिंचित ही दर्ज है, तथा उनसे असिंचित भूमि की दरों से ही भू-राजस्व लिया जा रहा है। ऐसी समस्त जमीनो के लिए नया बंदोवस्त होने तक उनकी वर्तमान भू-राजस्व दर में तदर्थ रूप से डेढ़ रुपया प्रति बीघा वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): डूब मरो।

श्री आदित्येन्द्र : एक बीघा का तात्पर्य एक एकड़ के 5/8वें भाग से है। यदि ऐसी सिंचित भूमि किसी सिंचाई परियोजना के कमाण्ड में स्थित है तथा इस कमाण्ड क्षेत्र के अन्य किसी भाग के लिए नहरी दर लागू की जा चुकी है, तो ऐसी सिंचित भूमि पर तदनुसार न्यूनतम नहरी दर वसूल की जाएगी।

96. खातेदार को कुआ बनवाने पर 20 वर्ष तक असिंचित दर से ही भू-राजस्व देना होता है। तत्पश्चात् उस पर चाही दर लागू हो जाती है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें आपका क्या है ?

श्री आदित्येन्द्र : परन्तु बंदोबस्त के दौरान निर्मित ऐसे कुओं पर जिनकी 20 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है, अभी भी असिंचित दरों से ही भू-राजस्व लिया जा रहा है। अतः अब यह प्रस्ताव है कि 20 वर्ष के बाद ऐसी चाही भूमि पर चाही दरें लागू कर दी जायं।

यात्री व माल कर

97. वर्तमान में सीमेंट की, तारकोल की, एस्फाल्ट की तथा पक्की व रोड़ी एवं कंकर की सड़कों पर से ले जाए जाने वाले यात्रियों एवं माल के किराये या भाड़े पर 30 प्रतिशत की दर से यात्री एवं माल कर वसूल किया जाता है, तथा अन्य अवस्थाओं में 25% की दर है। अब दरों के इस अन्तर को समाप्त कर सभी प्रकार की सड़कों पर किराये या भाड़े की 30 प्रतिशत के हिसाब से एक समान दर करने का प्रस्ताव है, तथा यह भी प्रस्ताव है कि मोटर साइकिल, रिक्शाओं, स्कूटर रिक्शा एवं अन्य तीन पहियों वाली गाड़ियों सहित कान्ट्रेक्ट कैरेज पर भुगतान योग्य एक मुश्त दरों को 25 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। राजस्थान यात्री एवं माल कराधान अधिनियम की धारा 3-का द्वारा अधिरोपित अधिभार की अवधि जो 31 मार्च, 1979 को समाप्त हो रही है उसे 31 मार्च, 1985 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

98. पब्लिक गुड्स व्हीकल्स पर देय एक मुश्त कर की राशि 840/-, 1220/- और 1470/- से क्रमशः 1000/-, 1500/- व 2000/- की जा रही है और इसके अतिरिक्त जिन पब्लिक गुड्स व्हीकल्स की भार वाहन क्षमता ढ़ाई टन से कम है उनकी एकमुश्त कर की राशि 840/- से घटाकर 500/- की जा रही है। इस समय सामान्य अनुज्ञा-पत्र के अधीन चलने वाली पब्लिक गुड्स व्हीकल्स तथा किसी क्षेत्र या निर्धारित मार्ग पर चलने वाली पब्लिक गुड्स व्हीकल्स के लिए भिन्न-भिन्न एकमुश्त कर की राशि निर्धारित है। इस अन्तर को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

99. मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम के अधीन भी इस प्रकार संशोधन प्रस्तावित हैं :—

		प्रति वर्ष	
		वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1.	मोटर साइकिल (मोटर ट्राइसिकिल्स एवं मशीन चालित साइकिलों सहित)	25/-	40/-

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आमदनी कितनी होगी ?

श्री आदित्येन्द्र :

		प्रति वर्ष	
		वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
2.	व्यक्तियों तथा हल्के निजी सामान के परिवहन हेतु निर्मित सीट हल्के मोटर वाहन (वाहन में उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुसार)	35/-प्रति सीट	40/-प्रति सीट
3.	पिक-अप मोटर गाड़ियां :		
	(क) 1000 कि. ग्रा. तक आर एल. डब्ल्यू वाली	150/-	200/-
	(ख) 1000 कि.ग्रा. से अधिक आर.एल.डब्ल्यू. वाली	200/-	275/-
4.	ट्रेक्टर	20/-	50/-
5.	ट्रेक्टर ट्रेलर	100/-	150/-

6. ट्रांसपोर्ट वाहन–

		दर	
(1) यात्री वाहन:		वर्तमान	प्रस्तावित
(क) 25 सीट तक	वार्षिक	40/-से 45/-तक	50/-
	त्रैमासिक	11/-से 12/-तक	14/-
(ख) 25 सीट से ऊपर व 40 सीट	वार्षिक	40/-	55/-
	त्रैमासिक	11/-	15/-
(ग) 40 सीट से ऊपर	वार्षिक	55/-	75/-
	त्रैमासिक	14/-	20/-
(2) माल वाहक:			
(क) आर.एल.डब्ल्यू. 2500कि.ग्रा.तक	वार्षिक	1600/-	1400/-
	त्रैमासिक	420/-	375/-
(ख) आर.एल.डब्ल्यू. 2500 कि.ग्रा.से ऊपर किन्तु 5000 कि.ग्रा. तक	वार्षिक	1600/-	1700/-
	त्रैमासिक	420/-	475/-
(ग) आर.एल.डब्ल्यू. 5000कि.ग्रा.से ऊपर किन्तु 6500 कि.ग्रा.तक	वार्षिक	1800/-	1900/-
	त्रैमासिक	465/-	525/-
(घ) आर.एल.डब्ल्यू. 6500कि.ग्रा.से ऊपर किन्तु 9000 कि.ग्रा. तक	वार्षिक	2200/-	2300/-
	त्रैमासिक	500/-	675/-

(श्री आदित्येन्द्र)

		दर	
		वर्तमान	प्रस्तावित
(ङ) आर.एल.डब्ल्यू. 9000 कि.ग्रा.से ऊपर किन्तु 14375 कि.ग्रा.तक	वार्षिक त्रैमासिक	2380/- 615/-	2500/- 700/-
(च) आर.एल. डब्ल्यू 14375 कि. ग्रा. ऊपर किन्तु 17075 कि. ग्रा. तक	वार्षिक त्रैमासिक	2670/- 690/-	3000/- 825/-
(छ) आर.एल.डब्ल्यू. 17075 कि. ग्रा. से ऊपर किन्तु 20000 कि.ग्रा. तक	वार्षिक त्रैमासिक	2800/- 725/-	3500/- 925/-
(ज) आर.एल. डब्ल्यू. 20000 कि.ग्रा.से ऊपर, प्रत्येक हजार कि.ग्रा.आर.एल.डब्ल्यू., या उसके भाग पर	वार्षिक	3020/- से 3200/-	(छ) में देय राशि से 100/- अधिक
	त्रैमासिक	795/- से 820/-	वार्षिक दर से देय राशि की चौथाई का छः प्रतिशत से बढ़ाकर

इस सम्बन्ध में भी क्षेत्रीय तथा निर्धारित मार्ग के लिए जो अलग से दरें थीं उनको समाप्त किया जा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : आमदनी कितनी होगी, यह बताइये साफ-साफ।

बिक्री-कर

श्री आदित्येन्द्र : 100. वर्तमान में भेड़ व बकरी पर बिक्री-कर 5 प्रतिशत की दर से लिया जाता है। इसे प्रति भेड़ व बकरी 5 रुपये प्रस्तावित किया जाता है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : जीने ही मत दो।

श्री आदित्येन्द्र : 101. कुछ समय पूर्व बिक्री-कर की सामान्य दर 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत की गई थी किन्तु अब भी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर 7 प्रतिशत की दर से ही बिक्री-कर लागू है। अब यह प्रस्ताव है कि उनमें से अधिकांश की बिक्री कर की दर भी सामान्य दर के समान 8 प्रतिशत ही कर दी जाये।

अतः निम्न वस्तुओं पर बिक्री-कर की दर 7 प्रतिशत के बदले 8 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है:--

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : यह आप बिक्री-कर समाप्त कर रहे हैं।

श्री आदित्येन्द्र : सोल्वेन्ट आइल, कच्चा नारियल, रेडियो व ट्रांजिस्टर सैट तथा उनके

Page No.29

(श्री आदित्येन्द्र)
पुर्जे एवं उपकरण, इलेक्ट्रोप्लेटेड, निकलप्लेटेड एवं जर्मन सिल्वर की वस्तुएं, स्टेनलैस स्टील को छोड़कर अन्य किसी भी पदार्थ से बनी टेबिल कटलरी (जिसमें छुरी, कांटे और चम्मच शामिल हैं), तथा पाम आइल (शोधित या अशोधित)।

102. वर्तमान में रेशम फैब्रिक्स तथा रेशम से बनी हुई अन्य वस्तुओं पर बिक्री कर की दरें अलग-अलग हैं। अतः यह प्रस्तावित है कि केन्द्रीय उत्पाद तथा लवण अधिनियम के अन्तर्गत रेशम की जो परिभाषा है, उस रेशम की बनी हुई सब प्रकार की वस्तुओं पर जिनमें बंधेज की चुनरी, साड़ियां व ओढ़नी आदि शामिल हैं, दस प्रतिशत की समान दर से बिक्री कर लगाया जाये। यह दर रेशम के बने बनाये वस्त्रों तथा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 6 मार्च, 1978 में वर्णित रेशम की खादी पर लागू नहीं होगी।

कर-रहित आय

(1) वन :

103. राज्य के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की तथा विभिन्न दरों से जंगल की चराई की फीस ली जाती है। ये दरें अधिकांशतः भूतपूर्व रियासतों के जमाने से चली आ रही हैं और इनमें बहुत असमानताएं और विसंगतियां हैं। अतः सरकार ने निश्चय किया है कि चराई की दरों को युक्तिसंगत बनाया जाये और वर्तमान अर्थ व्यवस्था के अनुरूप उनमें कुछ वृद्धि भी की जाये।

104. वर्तमान में विभिन्न वन उत्पादों पर अलग-अलग रायल्टी की दरें लागू हैं। यह दरें वे हैं जो भूतपूर्व राजस्थान में 1949 में लागू की गई थीं और राज्य के अन्य भागों में भूतपूर्व रियासतों के जमाने से चली आ रही हैं। वन जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने 1962 में ईंधन की लकड़ी एवं अन्य वन उत्पादों पर लागू दरों में 50 प्रतिशत वृद्धि की थी वन उपज के बाजार भावों में अब तक बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है। अतः इन रायल्टी की दरों में भी वृद्धि की जाएगी।

(2) <u>जल प्रदाय दरें</u>

श्री खेतसिंह : कितने प्रतिशत बढ़ेगी।

श्री आदित्येन्द्र : 105. वर्तमान में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की पेयजल योजनाएं घाटे में चल रही हैं। वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए यह आवश्यक है कि ये योजनाएं कम से कम अपने रख रखाव तथा प्रशासनिक व्यय का भार स्वयं वहन कर सकें तथा इनमें लगी हुई पूंजी पर कुछ ब्याज भी प्राप्त हो सके। अतः जल प्रदाय की विभिन्न दरों में इस प्रकार वृद्धि प्रस्तावित है:—

नागरिक योजनाएं :

	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
(क) मीटर वाली :		
1. घरेलू	60 से 85 पैसे प्रति हजार लीटर	1/- प्रति हजार लीटर

Page No.30

(श्री आदित्येंद्र)

	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
2. व्यापारिक तथा औद्योगिक	घरेलू से डेढ़ गुनी (20 पैसे प्रति रुपये रिबेट के साथ)	1.50 रुपये प्रति हजार लीटर (व्यापारिक), 2/- रुपये प्रति हजार लीटर (औद्योगिक) । (दोनों में 20 पैसे प्रति रुपये के रिबेट के साथ)
(ख) फ्लेट रेट :		
1. प्रति परिवार प्रति टैप	9.60 रुपये	12.50 रुपये
2. प्रत्येक अतिरिक्त टैप के लिए	3.00 रुपये	5.00 रुपये
3. प्रत्येक फ्लश सीट के लिए	1.00 रुपया (सभी पर 20 पैसे प्रति रुपये रिबेट के साथ)	2.00 रुपये (सभी पर 20 पैसे प्रति रुपये रिबेट के साथ)

(ग) न्यूनतम प्रभार :

नल की साइज	दर	
	वर्तमान	प्रस्तावित
1/2"	9.60 रुपये	12.50 रुपये
1/4"	12.50 रुपये	16.00 रुपये
1"	15.00 रुपये	20.00 रुपये
1-1/2"	20.00 रुपये	30.00 रुपये
2"	25.00 रुपये	40.00 रुपये
3"	30.00 रुपये	50.00 रुपये
4" व ऊपर	35.00 रुपये	60.00 रुपये
	(सभी पर 20 पैसे प्रति रुपये रिबेट के साथ)	सभी पर 20 पैसे प्रति रुपये रिबेट के साथ)

ग्रामीण योजनाएं:—

फ्लेट रेट :	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1. अक्टूबर 1976 से पूर्व निष्पादित योजनाएं		
(क) प्रति परिवार प्रति टैप	7.50 रुपये	10.00 रुपये
(ख) प्रति अतिरिक्त टैप	3.00 रुपये	4.00 रुपये
(ग) प्रति अतिरिक्त फ्लश सीट के लिए	1.00 रुपये	2.00 रुपये
	(सभी पर 20 पैसे प्रति रुपये रिबेट के साथ)	(सभी पर 20 पैसे प्रति रुपये रिबेट के साथ)

(श्री आदित्येन्द्र)

	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
2. अक्टूबर 1976 या उसके बाद निष्पादित योजनाएं		
(क) विद्युत् द्वारा संचालित स्कीम के अन्तर्गत प्रति-परिवार प्रति टैप	12.00 रुपये	उपरोक्त के अनुसार
(ख) डीजल द्वारा संचालित स्कीम के अन्तर्गत प्रति-परिवार प्रति टैप	17.00 रुपये	
	(रिबेट 2/-रुपये)	

(3) **सिचाई-दरें :**

106. सातवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि सिंचाई की दरें इस प्रकार तय होनी चाहिए कि उनके द्वारा रख-रखाव तथा प्रशासन के वर्तमान खर्चों के अतिरिक्त सिंचाई कार्यों के लिए किए गए विनियोजन पर 1 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वसूल हो सके। हमारे प्रदेश में सिंचाई कार्यों पर रख-रखाव आदि का प्रशासनिक खर्च औसतन 30/- रुपये प्रति एकड़ है। हमारी सिंचाई योजनाओं पर औसतन एक एकड़ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध करने के लिए लगभग 4,000/- रुपये का पूंजी विनियोजन हुआ है जिस पर 1 प्रतिशत का ब्याज 40/ रुपये प्रति एकड़ बैठता है। इस प्रकार वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार हमारी सिंचाई की दरें लगभग 70 रुपये प्रति एकड़ होनी चाहिए। इसकी तुलना में वर्तमान में हमारी दरें लगभग 22/-रुपये प्रति एकड़ है।

सिंचाई के समस्त साधनों से हमारी कुल आय 8.64 करोड़ रुपये है जबकि इस मद का कुल रख-रखाव का खर्च 11.17 करोड़ रुपये है। इसलिये हम अभी रख-रखाव के खर्चे को भी सिंचाई की दरों द्वारा वसूल नहीं कर पा रहे हैं।

अतः यह आवश्यक है कि सिंचाई की दरों में वृद्धि की जाये। प्रस्ताव है कि वर्तमान दरों में 50 प्रतिशत वृद्धि की जाये, किन्तु समयावधि में भुगतान करने की स्थिति में 15 प्रतिशत छूट दी जाये। इसके अनुसार वर्तमान दरों में शुद्ध वृद्धि केवल 27.50 प्रतिशत ही होगी।

(4) **भविष्य निधि :**

107. इस समय नगरपालिकाओं, नगरपरिषदों, नगर सुधार न्यासों, गैर सरकारी स्कूलों तथा कालेजों तथा विश्व-विद्यालयों में नियुक्त व्यक्तियों के भविष्य निधि खातों की धनराशि के विनियोजन में एकरूपता नहीं है। परिणामस्वरूप अलग-अलग संस्थाओं का इस राशि के विनियोजन पर अलग ब्याज की दरें प्राप्त होती हैं। ऐसे उदाहरण भी सामने आये हैं जिनमें कर्मचारियों से प्राप्त राशि को समयावधि में जमा नहीं कराया गया है, अथवा नियोजकों ने अपना हिस्सा में जमा निधि

(श्री आदित्येन्द्र)

नहीं कराया है। कुछ दृष्टांत ऐसे भी हैं जहां स्थानीय निकायों अथवा संस्थाओं ने इस राशि से अपनी अन्य जरूरतें पूरी कर ली हैं। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये एवं यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन संस्थाओं के कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों के समान ब्याज दर प्राप्त हो, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त समस्त निकायों तथा संस्थाओं में कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि को पी. डी. खातों में जमा करवा दिया जाये। इस निर्णय के फलस्वरूप 1 अप्रेल, 1979 से राज्य सरकार ऐसे सब कर्मचारियों की भविष्य निधि परिगृहीत कर लेगी। इसके साथ इन कर्मचारियों को राज्य सरकार के प्रचलित नियमों एव उप नियमों के समान निर्धारित उद्देश्यों के लिये ऋण अथवा अंतिम भुगतान की सहूलियत भी प्रदान कर दी जायेगी, परन्तु इस आहरण की स्वीकृति देने के लिये सक्षम अधिकारी पूर्ववत् अपने अधिकारों का प्रयोग करते रहेंगे।

31 मार्च, 1979 को विभिन्न स्थानीय निकायों, निजी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों आदि द्वारा इस निधि में उपलब्ध राशि को राज्य कोष में जमा करवाना होगा। राज्य सरकार इस राशि पर राज्य कर्मचारियों की भविष्य निधि पर देय दर के समान ब्याज देगी। इस निर्णय से अगले वित्तीय वर्ष में राज्य कोष में लगभग 8 करोड़ रुपये जमा होने का अनुमान है।

(5) मंडी विकास निधि :

108. मण्डी क्षेत्र में देय अनुज्ञा-पत्र शुल्क एवं मण्डी शुल्क इस समय मण्डी समिति निधि में जमा कराये जाते हैं। इस निधि का एवं विपणन विकास निधि का उपयोग मण्डी क्षेत्रों के विकास एवं तत्संबंधी गतिविधियों पर किया जाता है। विभिन्न मण्डियों के सुनियंत्रित विकास एवं इससे संबंधित आधारभूत संरचना के लिये, यह निर्णय लिया गया है कि इन संस्थाओं की योजनाओं का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादन किये जाने हेतु इनके पास उपलब्ध राशि को राज्य कोष में जमा करवाया जाये, जिसमें से योजनाबद्ध विधि से खर्च के लिये समय-समय पर भुगतान किया जाता रहेगा।

खनिजों की रायल्टी दरें :

109. राज्य में उपलब्ध प्रधान तथा अप्रधान खनिजों की रायल्टी दी दरें अगले वर्ष संशोधित की जानी हैं। आशा है इन संशोधनों के फलस्वरूप राज्य की आय में लगभग 1 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाएगी।

बिक्री कर अधिनियम में संशोधन

110. आपातकाल के दौरान बिक्री कर कानून में संशोधन कर दिया गया था कि यदि एक लाख रुपये से अधिक टर्न ओवर वाले व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो इस अपराध के लिए उन पर अभियोग चलाया जाकर उनको 6 महीने तक की कैद तथा एक हजार रुपये तक की शास्ति या दोनों दण्ड दिये जा सकते थे। अब यह प्रस्ताव है कि इस संशोधन को विलोपित कर पूर्व स्थिति पुनः लागू कर दी जाय।

111. वर्तमान में कर निर्धारण के लिए बिक्री कर कानून में कोई समय

(श्री आदित्येन्द्र)

सीमा निर्धारित नहीं है। व्यापार मण्डलों तथा टैक्स बार के प्रतिनिधियों के द्वारा यह मांग कई बार उठाई गई है कि बिक्री कर कानून में असेसमेंट करने के लिए समय सीमा की कोई पाबन्दी होनी चाहिए। जब तक असेसमेंट पूरा नहीं होता, व्यापारियों को अपने बहीखाते और वाउचर आदि सुरक्षित रखने पड़ते हैं, क्योंकि उन को बिक्री कर अधिकारी असेसमेंट के दौरान देखने के लिए मंगा सकते हैं। अतः यह निश्चय किया गया है कि बिक्री कर कानून में ऐसी समय सीमा निर्धारित कर दी जाय जिसके पूर्व कर निर्धारिण अधिकारी को असेसमेंट पूरा करना आवश्यक हो। इससे एक ओर व्यापारियों को अनिश्चितता से राहत मिलेगी तथा दूसरी ओर अब तक रुके हुए असेसमेंट के काम को जल्दी निपटाया जा सकेगा।

112. बिक्री कर कानून में समय पर बिक्री का रिटर्न पेश न करने पर अथवा समय पर कर न चुकाने पर ब्याज वसूल करने के जो वर्तमान प्रावधान हैं, उनमें कुछ विसंगतियां और अस्पष्टताएं हैं। राजस्व मण्डल तथा अन्य अदालतों में इस संबंध में जो निर्णय हुए हैं उनके कारण इन प्रावधनों को स्पष्ट किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः बिक्री कर कानून की धारा 11-ख का प्रारूप इन कमियों को ध्यान में रखते हुए बदला जाना प्रस्तावित है। देर से टैक्स जमा करने पर या पूरा टैक्स समय पर न देने पर अभी प्रारम्भ के तीन महीनों में एक प्रतिशत प्रति माह तथा उसके बाद डेढ़ प्रतिशत प्रति माह ब्याज लगाया जाता है। अब इन दो प्रकार की दरों को हटाकर सवा प्रतिशत प्रति माह ब्याज की दर लगाये जाने का प्रस्ताव है। इस संशोधन से कर-राजस्व समय पर वसूल हो सकेगा और वर्तमान में जो कमियां और विसंगतियां हैं वे दूर हो जाएंगी।

उपरोक्त संशोधनों के लिये पृथक् से संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

करों में रियायतें

113. ट्रैक्टर ट्रोली को यात्री व माल कर से छूट देने के लिये काश्तकारों की हमेशा मांग रही है। अधिकतर ट्रैक्टर ट्रोली कृषकों द्वारा कृषि प्रयोजन हेतु रखी जाती है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि ट्रैक्टर ट्रोली को यात्री व माल कर से छूट दी जाये।

114. वर्तमान में केन्द्रीय बिक्री कर के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत व्यापारियों एवं निर्माताओं के लिए यह सुविधा है कि वस्तुओं के निर्माण या प्रोसेसिंग, खनिजों के उत्खनन या संशोधन अथवा विद्युत् निर्माण या वितरण के लिए काम में आने वाली वस्तुएं, कुछ शर्तों के साथ अंतर्राज्यीय व्यापार के क्रम में राज्य के बाहर से 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर की दर पर खरीदी जा सकती हैं। किन्तु राजस्थान बिक्री कर के प्रावधानों के अनुसार केवल कच्चे माल ही उपरोक्त प्रयोजनों के लिए रियायती दर पर खरीदे जा सकते हैं। फलतः बहुत से व्यापारी इस प्रकार की वस्तुएं राजस्थान के बाहर खरीदना पसंद करते हैं। राजस्थान में ऐसी वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए अब यह निश्चय किया गया है कि केन्द्रीय बिक्री

(श्री आदित्येन्द्र)

कर में इस प्रकार की वस्तुओं के लिए जो सुविधा है वह कच्चे माल को छोड़कर शेष ऐसी वस्तुओं के इस प्रकार के प्रयोजन के लिए राजस्थान बिक्री कर में भी उपलब्ध करा दी जाये।

115. सरकारी विभागों को अंतर्राज्यीय व्यापार के क्रम में 4 प्रतिशत की रियायती दरों पर माल खरीद करने की सुविधा है। सीमेंट और कोलतार को छोड़ कर उन वस्तुओं को राजस्थान बिक्री कर के अधीन उन्हीं दरों पर राजस्थान में क्रय करने की सुविधा देने का प्रस्ताव है ताकि राजस्थान के अन्दर इन वस्तुओं का व्यापार बढ़ सके।

116. व्यापारियों के प्रतिनिधियों की बराबर मांग रही है कि आयातकों और निर्माताओं के बिक्रीकर के रजिस्ट्रेशन के लिए वर्तमान में टर्नओवर की जो वित्तीय सीमा निश्चित है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में हुई मूल्य वृद्धि को देखते हुए यह प्रस्तावित किया जाता है कि पके पकाये भोजन (जिसमें बेकरी प्रोडक्ट्स शामिल नहीं है) के अलावा अन्य वस्तुओं के निर्माताओं तथा आयातकों को रजिस्ट्रेशन के लिए टर्न ओवर सीमा 5 हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दी जाये। खाद्यान्न दालों के व्यापारियों को भी इस प्रयोजन हेतु टर्न ओवर की सीमा दस हजार रुपये होगी।

117. वर्तमान में पैकिंग मेटिरियल पर कर की दर 4 प्रतिशत है। यह प्रस्तावित है कि इस श्रेणी में—

(1) कागज की थैलियां,

(2) कागज के लेबल,

(3) कागजों की कतरन,

(4) टीन की सीलें, व

(5) क्राउन कोर्क और पिल्फर प्रूफ कैप

को भी शामिल किया जाय।

वर्तमान में एलकेथीन और पोलीथीन के पैकिंग मेटिरियल पर कर की दर 4 प्रतिशत है पर पैकिंग के काम आने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं पर यह दर लागू नहीं है। इसलिए अब सारे प्लास्टिक के पैकिंग मेटिरियल को भी इसी सूची में शामिल कर लेने का प्रस्ताव है।

पैकिंग मैटीरियल की परिभाषा में शामिल की हुई इन सभी वस्तुओं पर 8 प्रतिशत की जगह अब 4 प्रतिशत ही बिक्री कर लगेगा।

118. प्रदेश में कुक्कुट पालन व्यवसाय बढ़ोतरी पर है। इस व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों को प्रदेश से बाहर के व्यवसायियों की तुलना में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया जाता है कि कुक्कुट आहार को बिक्री-कर से मुक्त कर दिया जाय।

119. ट्रैक्टरों तथा अन्य शक्तिचालित कृषि साधनों के निम्नलिखित उपकरणों को भी बिक्री-कर से मुक्त कृषि उपकरणों की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव है—

(1) डिस्क प्लाउ

(2) कल्टीवेटर

(3) हैरो

(श्री आदित्येन्द्र)

(4) टिलर्स (सीडिंग अटैचमेंट सहित या रहित)

(5) सीड ड्रिल्स

(6) लैण्ड लेवलर्स

120 अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अवसर पर बच्चों को कुछ अधिक रियायतें दिया जाना उचित होगा। इस दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि समस्त प्रकार के खिलौनों को बिक्री-कर से मुक्त कर दिया जाय।

इसी संदर्भ में यह प्रस्तावित है कि टीन के डिब्बों में सीलबन्द समस्त प्रकार के शिशु आहारों पर बिक्री-कर की दर 8 प्रतिशत से से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी जाय।

121. जिन कर-प्रस्तावों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया उनसे अगले वर्ष में कुल 7 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

122. कर-रहित आय में वन, जल प्रदाय की दरों, खनिज की रायल्टी की दरों तथा सिंचाई की दरों से एक वर्ष में 8.50 करोड़ रुपये की आय हो सकेगी, ऐसी आशा है। इनके अतिरिक्त भविष्य निधि परिग्रहण तथा मंडी विकास निधि के माध्यम से 16 करोड़ रुपये की मार्गोपाय सहायता मिलने का अनुमान है।

123. इस प्रकार कर तथा कर-भिन्न प्रस्तावों द्वारा राज्य के वित्तीय साधनों में कुल मिलाकर 31.50 करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकेगी।

124. करों में रियायतें व छूट देने के जो प्रस्ताव हैं उनके कारण लगभग 1.50 करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है। इस प्रकार ऊपर दिए गए समस्त प्रस्तावों के सम्मिलित परिणाम स्वरूप हमारा घाटा 26.44 करोड़ रुपए रह जाएगा।

125. केन्द्र ने अगले वर्ष के बजट में जो नए कर प्रस्ताव प्रस्तुत किए है उनके फलस्वरूप राज्य को लगभग 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। राक फास्फेट की कीमतों में कुछ वृद्धि हुई है, उसके कारण इस स्रोत से 1 करोड़ रुपए की अधिक आमदनी होने की आशा है। परिवहन व यात्री कर भाड़े के प्रशासन को अधिक संगठित किया जा रहा है, जिससे इस विभाग द्वारा होने वाली कर-राजस्व की आय में 2 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की आशा है। अगले वर्ष ग्रामीण ऋण पत्रों द्वारा भी 4.66 करोड़ रुपए एकत्रित करने की योजना है। इन सब के फलस्वरूप अगले वर्ष का शुद्ध घाटा केवल 13.78 करोड़ रुपये का रह जाएगा, ऐसी आशा है। इस वर्ष के अन्त में अनुमानित 4.02 करोड़ रुपए के घाटे को जोड़ने के पश्चात् कुल घाटा 17.80 करोड़ रुपये हो जाता है। 1978-79 के प्रारम्भिक ओवर ड्राफ्ट को जो कि 14.89 करोड़ रुपए है, भारत सरकार ने ऋण में परिवर्तित करना स्वीकार कर लिया है।

126. इस घाटे की पूर्ति को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि खन्डों को बेच कर करने की आशा है।

127. श्रीमान्, इन्हीं शब्दों के साथ मैं 1979-80 के बजट अनुमान सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं।

कई माननीय सदस्य : नशाबन्दी का क्या हुआ ?

एक माननीय सदस्य : यह किसानों की हत्यारी सरकार···

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन
राजस्थान वित्त विधेयक, 1979

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी

श्री आदित्येन्द्र : मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो भी निर्णय होगा वह भी उसी समय आपको ज्ञात हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्यों की राय थी कि आज की कार्यवाही नहीं हो अतः आप चाहें तो अभी घोषणा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन आपका है। आपकी इच्छा है तो मैं घोषणा करने के लिए तैयार हूं।

नेता महोदय के सुझाव को यदि विरोधी पक्ष स्वीकार करता है तो हमें आपत्ति नहीं है।

सभी माननीय सदस्य : हम सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 12.59 बजे मंगलवार, दिनांक 6 मार्च, 1979 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)